Public Examinations (Prevention of unfair means) Bill, 2024

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER?S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to move:

?That the Bill to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.?

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक को लाते हुए मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक सुखद अनुभव हो रहा है । यह एक सुखद संयोग है, क्योंकि जब हाल ही में इस नए सदन में आए तो इस भव्य भवन में शिफ्ट होने के उपरांत आपकी अध्यक्षता में और इस पवित्र सोंगेल को साक्षी मानते हुए सबसे पहला विधेयक सरकार की ओर से इस सदन में लाया गया था, वह भारत की नारी शक्ति और भारत के नारी सामर्थ्य को समर्पित था । आज इस भवन में होने वाले दूसरे सत्र में जो विधयेक लाया जा रहा है, एक बार फिर आपकी अध्यक्षता में तमिलनाडु से लाए गए इस पवित्र सोंगेल की उपस्थिति में प्रस्तुत किया जा रहा है । यह विधेयक भारत की युवा शक्ति और भारत के युवा सामर्थ्य को समर्पित है ।

-

-

-

-

13.51 hrs (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों ही वर्ग माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं । हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि समाज में चार ही जातियों को जानते हैं ? महिला, युवा, किसान अथवा अन्नदाता और गरीब । आने वाले 20 वर्षों में प्रत्येक नागरिक की भूमिका वर्ष 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण के लिए अनिवार्य रहने वाली है क्योंकि एक के बाद एक महिला केंद्रित सुधार के लिए योजनाएं लाई गई हैं ।

जहां तक आज के विधेयक का संबंध है, हम प्रमाण सहित कह सकते हैं कि गत दस वर्षों में युवा केंद्रित जितने भी प्रावधान लाए गए, विशेषकर युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर या उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन को लेकर, इन सारी प्रक्रियाओं में देखा गया है कि किस प्रकार की पारदर्शिता हो और किस प्रकार से प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा, योग्यता, परिश्रम के अनुकूल अवसर मिल सके । किस प्रकार एक लेवल प्लेयिंग फील्ड रहे कि वह समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, उसकी आर्थिक दशा कुछ भी हो, उसे दूसरे उम्मीदवार के बराबर मौका मिले और यही लोकतंत्र की परिभाषा है कि प्रत्येक युवा को यह सपना देखने का साहस हो कि वह किसी भी पद पर आसीन हो सकता है, किसी भी शिक्षण संस्थान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपनी याचिका दे सकता है, परीक्षा में बैठकर उत्तीर्ण हो सकता है । इस तरह से आपको याद होगा कि सन् 2014 में 26 मई के दिन प्रधान मंत्री जी के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी और उसके दो या तीन महीने के भीतर ही सितम्बर या अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए अंग्रेजों के समय से चले आ रहे एक नियम को समाप्त कर दिया, which we can say was a legacy, a dubious legacy of the British empire.

महोदय, हमारे नौजवानों को अपने दस्तावेज, अपने सर्टिफिकेट्स गैजटेड अफसर से अटेस्ट करवाने पड़ते थे । वैसे तो यह नियम आजादी के तुरंत बाद समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन शायद विधाता को यह मंजूर था कि मोदी जी इस देश की बागडोर संभालें और फिर इस कोताही की पूर्ति हो । यह नियम समाप्त करते ही न केवल युवाओं को सुविधा मिली, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश देश के कोने-कोने में गया कि अब भारत में एक ऐसी सरकार आ चुकी है, एक ऐसे प्रधान मंत्री आ चुके हैं, जिनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वे अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सकें । कोई जरूरत नहीं कि कोई नौजवान अपने दस्तावेज किसी और से प्रमाणित करवाए । उसके कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले के परिसर से प्रधान मंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि क्या यह संभव है कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए? अक्सर ये शिकायतें आया करती थीं कि कई बार रिटेन में 100 अंक लेकर भी कोई उम्मीदवार विफल रह जाता था और पक्षपात के चलते, भाई-भतीजावाद के चलते, भ्रष्टाचार के चलते कोई और उम्मीदवार, जिसको मदद करने की इच्छा रहती, ऐसा षड्यंत्र रहता और उसको इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर नौकरी उपलब्ध करवा दी जाती या फिर शिक्षा संस्थान में दाखिला दे दिया जाता । मुझे यह कहते हुए खुशी है और गर्व भी है कि प्रधान मंत्री जी की इस घोषणा के तुरंत बाद डीओपीटी ने फास्ट ट्रैक प्रक्रिया चलाई और मात्र 3 महीनों के भीतर ही हमने इस प्रक्रिया को संपन्न किया और 1 जनवरी, 2016 से देशभर में यह सर्कुलर जारी कर दिया गया कि अब इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी, ताकि हर उम्मीदवार के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे ।

महोदय, इसके साथ ही साथ अधिकतर इम्तिहान अब ऑनलाइन, कम्प्यूटर बेस्ड होने लगे ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके । अवधिकाल भी कम कर दिया गया । टाइम बाउंड तरीके से परीक्षाएं होने लगीं । एक जमाना था कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की परीक्षा प्रक्रिया लगभग दो-दो सालों तक चलती रहती थी । उसका अवधिकाल घटाकर अब सात-आठ या नौ महीने हो गया और प्रयास जारी है कि उसे और कम कर दिया जाए, ताकि हर युवा को समय पर अवसर मिले, अपनी किस्मत आजमाने का । अभी हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी जी की ही कल्पना से रोजगार मेले का एक क्रम शुरू हुआ, ताकि जो पद कई-कई साल रिक्त रहते थे, नियुक्तियां नहीं होती थीं, वैकेंसीज खाली रहती थीं और हमारे बच्चे, नौजवान ओवर एज हो जाया करते थे । ऐसा दृश्य देखने को न मिले, इसलिए रोजगार मेले में 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार नियुक्ति-पत्र एक साथ जारी करने का क्रम शुरू हुआ । रुकी हुई प्रमोशन्स को बल्क प्रमोशन देकर चलाया गया । कई बार बड़ा दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता था कि जिस पद पर कर्मचारी नियुक्त होता था, उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाता था।

14.00 hrs

उसे उसके साथी फेयरवेल देते हैं, लेकिन उसके दिल में यह दर्द रह जाता है कि उसे एक भी प्रमोशन नहीं मिला । इसी भाव को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है । कुछ समय से एक नई परिस्थिति ने जन्म लिया है । आपने देखा होगा कि एक के बाद एक देश के भिन्न-भिन्न भागों से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि कहीं मालप्रैक्टिसेज हुईं, कहीं पेपर लिकेज हुआ, कहीं इंपर्सनैशन हुआ, कहीं पेपर बाहर लेकर सॉल्व हुआ, अगर हम उदाहरण देने लगेंगे तो अनेक उदाहरण हैं । लेकिन, प्रमुखता से पश्चिम बंगाल में नवम्बर, 2022 में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर लिक होता है । उसी प्रदेश में फरवरी, 2023 में अंग्रेजी का क्वैश्चन पेपर रिलीज होता है और उसी प्रकार स्कूल सर्विस कमिशन, वेस्ट बंगाल का भी पेपर रिलीज होता है ।

दिसम्बर, 2022 में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम राजस्थान में पाया जाता है और फरवरी, 2022 में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स में भी गड़बड़ी पाई जाती है और इम्तिहान दोबारा कराना पड़ता है । मई, 2022 में राजस्थान पुलिस कॉन्सटेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी घोटाला होता है। वर्ष 2018 से लेकर अब तक राजस्थान में इस प्रकार के 12 घोटाले हुए हैं । ये चयन परीक्षाओं के लिए करते हैं । इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर में भी सब-इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम वर्ष 2022 में पाया गया और स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, 2017 में भी, इसके उदाहरण अनेक हैं और इसके अतिरिक्त भी हैं । मगर, उस विस्तार में अभी न जाते हुए, मैं यह कहूंगा कि इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? बहुत से योग्य बच्चे जो मेहनत के साथ, तैयारी के साथ, माता-पिता के हार्ड अर्न्ड पैसे के साथ तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाती हैं । ये चंद लोग, जिन्होंने इसको अपना धंधा और पेशा बनाया है, वे उन बच्चों की किस्मत से खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं और कभी-कभी यही उन बच्चों के लिए, उनके माता-पिता के लिए एक भारी तनाव का कारण भी बन जाता है । अभी चार दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि कोटा की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली । वह बेटी अपने सुसाइड नोट में लिखकर जाती है कि- ?Mummy, papa, please forgive me. I cannot do it. I am the worst daughter.?

इस सुसाइड नोट को पढ़कर सारा हिन्दुस्तान रो पड़ा । इसलिए, आपके माध्यम से मैं हाउस में अपील करूंगा कि हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को इस तरह की परिस्थिति से बचाया जाए । मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इससे इंकार होगा । इसीलिए, इसी भाव के साथ यह विधेयक लाया जा रहा है । जहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग, जो गुनाह का पाप करते हैं और हमारी भावी युवा पीढ़ी, जिसकी ऊर्जा और सामर्थ्य सन् 2047 के भारत के लिए अनिवार्य है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं । उनके लिए सजा का कोई न कोई प्रावधान हो, जो अभी तक हमारे कानून में नहीं था । उसी को लेकर यह विधेयक लाया गया है । मुझे विश्वास है, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है । हम सब मिलकर के न केवल इस विधयेक को पास करेंगे, इसको पास करते ही, कानून बनते ही देश भर में यह संदेश जाएगा कि दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, बच्चे सांझा होते हैं । देश के बच्चे सांझा हैं, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे भविष्य के जानशीन हैं, हमारे भविष्य की विरासत हैं और उसके लिए यह विधेयक लाया जा जा रहा है । धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON (Shri N. K. Premachandran): Motion moved:

?That the Bill to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity to speak on this Bill.

Sir, the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024, which is moved by the Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions seeks to identify the following unfair means and offences during public examinations:- (i) Question paper or answer key leaks; (ii) Participation in collusion with others to effect question paper or answer key leaks; and (iii) Accessing or taking possession of question paper or an Optical Mark Recognition (OMR) response sheet without authority. Any examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), Staff Selection Commission (SSC),

Railway Recruitment Board (RRB), Institute of Banking Personnel Selection, Ministries or Departments of the Central Government and their attached and subordinate offices for recruitment of staff, National Testing Agency or other authority, as may be notified by the Central Government, will be covered under this anti-cheating Bill.

While the Bill, at the outset, seeks to address the culprits in examination rackets and recruitment mafia, the dangers of overarching powers of the Central Government the Bill grants is worrying as it encroaches upon the federal powers of the States. The bill comes at a time when as many as 1.4 crore applicants from 15 States, applying for over 1.04 lakh posts have been affected as their schedules and opportunities were destroyed due to exam paper leak and manipulation mafia.

There is also a complete lack of any punitive action that has been even undertaken. The long process of rescheduling examinations takes years and the grinding Government process forces many applicants to leave their attempts as they do not have age or situation by their side. They also lose their opportunities as many of them are not in a position to appear in examinations due to financial difficulty and also due to lack of leave from their employment, mainly the private sector employees.

In this case, I would suggest the Government to consider holding examination within three months from the date of cancellation, and make sure that a wing for re-examination is created in the case of cancelled exams. Further, I would request the Government to distribute the quantum of punishment not just to the direct culprits but also to the conspiracy plotters and the intermediary agents as well.

I would also like to state the affairs of Kerala State Public Service Commission. There were several reports of question paper leaks and manipulation of rank lists where applicants who couldn't even write a single question of the same question paper claimed to have topped the police constable exam recently. The sad state of affairs in Kerala, where the entire Public Service Commission and the Government was hand in glove with the question paper leak and manipulation mafia is a reminder that more stringent laws are required for curbing this horrible crime.

Apart from this, the teaching and coaching centre mafia which are linked with colluders including political leadership, local agents and corrupt staff of various Public Service Commissions must not be let off the hook, and punishment should be awarded to them as well.

I would further request the Government to take steps to enhance anti-malpractice measures implementing, latest technology so that applicants need not be subjected to old practices where multiple authorities are involved. The Bill must also take care to protect students from weaker sections of the society, including SCs and STs from being targeted. The law needs to be fair and the candidate must not be targeted unfairly. The young people of our country need justice as far as every competitive examination is concerned. Unfortunately, there are so many incidents before us where they face injustice. This law will make sure that in future, these types of incidents do not happen, and it will be helpful for lakhs and lakhs of young people of our country.

With these words, I support this Bill. Thank you.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : सभापति महोदय, मैं समय देने के लिए आपका और अपनी पार्टी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । आज जो अधिनियम लाया गया है ? दि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और हमारे डीओपीटी मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर जितेन्द्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि वह इस अधिनियम को लेकर आए । जब से नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं, इस देश के अंदर उनके आने से पहले यूपीए सरकार के अंदर घोटाले के ऊपर घोटाले होते थे ।

14.11 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

महोदय, जगह-जगह अनफेयर मीन्स बेईमानी से काम होते थे, इनको दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में उपयोग करने का निर्देश दिया तथा उन्होंने करके दिखाया । आज यह अधिनियम आया है, इसका उद्देश्य जैसा डॉक्टर जितेन्द्र सिंह जी ने बताया कि हमारी परीक्षाओं के अंदर पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, हमारी परीक्षाओं की न केवल देश के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर साख बने, इस

बात के लिए यह अधिनियम यहां लाया गया है । आज सारी दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ रहा है । परीक्षाओं में जिस प्रकार से नकल की जाती है, तो इन परीक्षाओं के कारण देश का नाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से खराब होता है और उसमें हमारी बदनामी होती है ।

आदरणीय सभापति जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेन रूप से इस बात को अपने इस सम्माननीय सदन में कहूंगा कि इस देश के अंदर लाखों-करोड़ों वर्षों से जो परीक्षा होती थी, वह ओरल एग्जामिनेशन होता था । उस समय किताबें भी कम होती थीं । ऐसा नहीं है कि हमारे लोग प्रिंटिंग नहीं जानते थे । जैसे आज के कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लोगों को इतिहास मालूम नहीं था, हमारे लोगों को लिखना नहीं आता था । बात यही नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि हमारे यहां मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी गुरू शिष्य को बढ़ाता था और शिष्य अपने शिष्य को बढ़ाता था । यह परम्परा चलती थी । उसी परम्परा के हिसाब से हमारे जो शिष्य होते थे, उनकी परीक्षा होती थी । हम आज देखते हैं कि जब से किताब आई हैं, लोगों की याद्दाश्त कमजोर हो गई है । जब से मोबाइल फोन आए हैं, हम लोगों को दस टेलीफोन नंबर्स भी याद नहीं हैं । मोबाइल फोन आने से पहले हमें 100-150 मोबाइल फोन नंबर याद होते थे । जब से किताबें और पुस्तकें आई हैं, उसी हिसाब से हमारी याददाश्त कमजोर होने लगी । पहले जमाने के सिस्टम के अंदर कोई सर्टिफिकेट नहीं होते थे, कोई डिग्री नहीं होती थी ।

महोदय, हमारी नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ देखिए, विक्रमशिला, अवंतिका, अमरावती जैसी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं । जब मैंने पिछली बार बोला था तो 18 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए थे । हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थीं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं कोई डिग्री और कागज का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था कि आप इसको लेकर जाइए । उनका शिक्षण संस्थान ही उनका सर्टिफिकेट था । वह इस शिक्षण संस्थान में पढ़कर आया है, इसका मतलब है कि उसके पास योग्यता है । जब से डिग्रियां दी जाने लगीं तो डिग्रियां किस प्रकार से ली जाएं, ऐसा होने लगा । अगर किसी को 10 वीं पास चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए और 12 वीं का सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए । पिछले टर्म के अंदर मुझे कुछ दिन शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला । हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीटयूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यह था कि अगर असिस्टैंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए पीएचडी की डिग्री चाहिए ।

उस आदमी ने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं? उसके अंदर इतनी गड़बड़ होती थी । लोगों ने इस प्रकार के रिसर्च जनरल शुरू किए । लोग दूसरे लोगों से किताब लिखवाते थे, लोगों से पीएचडी डिग्री लिखवाते थे । कितना नकल करके वह काम करते थे । जब से यह शुरुआत हुई है तब से हम लोगों के पतन की एक प्रकार से शुरुआत हुई है । आपके माध्यम से मुझे कहना है कि इस देश की जो शिक्षा थी, वह चरित्र निर्माण की शिक्षा थी । हम लोग ईमानदारी और चरित्र निर्माण की बात करते थे । दुनिया में सबसे बड़ा धर्म सदाचार है और सदाचार में यह बात आती थी कि हम लोग कितने ईमानदार हैं । मुझे वर्ष 2013 में अमेरिका जाने का मौका मिला । न्यूयार्क के पास एक एबल अकेडमी है। वह एबल अकेडमी पहले पुलिस वालों को और फौज के लीडर्स जिसमें तैयार होते हैं, उनको तैयार करती थी । उसका एक ट्रेनर हम से मिलने आया । हमारा भारत सरकार का डेलिगेशन था । वहां कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छी एबल अकेडमी है । ईमानदार लीडर तैयार होते हैं । इंटिग्रिटी के बारे में यह अकेडमी है । हमने उनसे पूछा कि आप इंटिग्रिटी कैसे सिखाते हैं । जिन लोगों ने न्यूयार्क देखा होगा या उसके बारे में पढ़ा होगा तो न्यूयार्क में सर्दी के दिनों में बहुत ठंड होती है, वहां बर्फ पड़ती है । सर्दी के दिनों में एबल अकेडमी के अंदर एक नियम है कि कोई भी ट्रेनर या कोई भी ट्रेनी सर्दी के दिनों में भी नहाते हुए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करेगा । उनके बाथरूम में कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं । लेकिन नियम यह है कि लोग ठंडे पानी से स्नान करेंगे । मैंने उस ट्रेनर से पूछा कि आप इंटिग्रिटी सिखाते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं? क्या आपने कभी बेईमानी की है? उसने कहा, मैंने एक बार बेईमानी की है । मैं वहां के एक ट्रेनर

की बात कर रहा हूं, जो वहां का शिक्षक है । उसने क्या बेईमानी की है? उसने एक दिन बाथरूम में ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाकर स्नान किया और वह भी केवल एक बार । मैंने उनसे पूछा कि आपने यह ईमानदारी कहां से सिखी । हम लोगों को अपने देश पर गर्व होगा । उन्होंने कहा कि लगभग वर्ष 1880 के आसपास, मैं वर्ष 1980 की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे सही से वर्ष याद है तो वर्ष 1882 में इंडिया से, भारतवर्ष से कोई साधु आया था और उसने ईमानदारी के बारे में हमें भाषण दिया था । अमेरिका के लोग इतनी ईमानदारी से रहते हैं । उस आदमी ने कभी बेईमानी नहीं की । हम अपनी संस्कृति पर इतना गर्व और भरोसा करते हैं कि हमारे देश में इतनी ईमानदारी है, इतना सत्य है और जहां कहा जाता था ? रघुकुल रीति सदा चली आयी, प्राण जाए पर वचन न जाइ । यह उद्देश्य कहां चला गया । आज परीक्षाओं के अंदर कितनी गड़बड़ होती है? जब मैं शिक्षा विभाग में काम करता था तो हजारों, सैंकड़ों नहीं, यूपीए की सरकार में कई ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशंस बने । कई हजार ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशंस जहां बी.एड और अलग-अलग तरह के शिक्षण कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वे केवल कागज पर थे या केवल एक रूम में ही चल रहे थे । ऐसे हजारों को बंद किया गया । आज भी आप जाते हैं और मैं अपने क्षेत्र को देखता हूं । लोग बी.एड की परीक्षा लेने की बात करते हैं । हमारे यहां जब एग्जाम होता है तो बस भरकर जम्मू-कश्मीर ले जाते हैं और वहां से लेकर आते हैं । लोगों की उम्र हो जाती है । फौज और पुलिस में भर्ती होने के लिए उम्र की लिमिट होती है । अगर उम्र ज्यादा हो गयी तो क्या करना चाहिए? दोबारा से 10 वीं- 12 वीं करते हैं । इस तरह के हमारे उत्तर प्रदेश में भी हैं, दूसरे स्टेट्स में भी हैं । आज ही हमारे इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है । इस आर्टिकल में हमारा यह जो बिल है उसके बारे में आया है । देश के 15 राज्यों में, शायद ही कोई बड़ा राज्य होगा, जो इस बात से बचा होगा । एक करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए हैं । ? (व्यवधान)

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Chairperson, Sir, I think, this is a write up based on the Bill. So, I think that can be permitted.

HON. CHAIRPERSON: You cannot show the newspaper.

DR. JITENDRA SINGH: He need not show the newspaper. He can just cite it.

HON. CHAIRPERSON: He can do that, but at the same time, he cannot show the paper.

DR. SATYA PAL SINGH: Okay. Thank you.

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि अगर हमारे टीचर्स इसी तरह के बनेंगे, चूँकि मैं जिस जिले के कॉलेज में गया, उसका यहां पर नाम नहीं लूंगा । हमारा वहां पर एक कार्यक्रम था । मैंने कार्यक्रम में पूछा कि आप क्या करते हैं तो उसने कहा कि मैं कॉलेज चलाता हूँ । वह बी.एड का कॉलेज चलाता था, जहां टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी । मैंने कहा कि आपके यहां पर कितने बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे कम दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर एडमिशन लेने की शर्त ही यह है कि क्लास अटेंड नहीं करनी है । अगर हम यह कहें कि क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और 75 परसेंट आपकी अटेंडेंस होगी तो लोग एडमिशन ही नहीं लेंगे । शर्त यह है कि आप एडमिशन लीजिए और जब साल भर में परीक्षा होगी तो उसमें एग्जाम देने आ जाइए, परीक्षा देने आ जाइए । वहां पर नकल करवाई जाती है और वहां पर शत-प्रतिशत रिजल्ट मिलता है । अगर शर्त इस तरह की है कि क्लास अटेंड करनी है तो लोग एडमिशन नहीं लेंगे । आज हम लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं ।

मुझे याद है कि जब हम आईपीएस की जॉब में आए तो बिहार के अंदर, जहां पर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग प्रेस था, उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक पियोन का बेटा और उसकी बेटी, दोनों आईएएस में सलेक्ट हो गए । बाद में यह केस सीबीआई में गया । उस केस में लोग अरेस्ट हुए । यह मैं यूपीएससी के उस जमाने की बात कर रहा हूँ । आज भी कितनी ही ऐसी जगह होंगी, जहां पर ऐसा होता है । जैसा कि मैंने कहा कि आप कॉलेजों में जाइए, यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, स्कूलों में जाइए और मैं जब से सांसद बना हूँ, तब से सभी को यह बात कहता हूँ कि जिस स्कूल में या कॉलेज में नकल करवाई जाती है, वह स्कूल या कॉलेज आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है । आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ने मत भेजिए ।

उत्तर प्रदेश में एक माननीय मुख्य मंत्री जी आए । सन् 1993 से पहले हमारी बीजेपी की सरकार थी । वे कॉपिंग न हो, नकल न हो, उसके लिए बहुत सख्त कानून लेकर आए । वह कानून एंटी कॉपिंग एक्ट, 1992 था । उसके बाद जब इलेक्शन के लिए कैम्पेनिंग हुई और उन्होंने कहा कि अगर हमार सरकार आती है तो मैं सबसे पहले इस कानून को खत्म करूंगा और दुर्भाग्यवश समाजवादी सरकार सत्ता में आ जाती है । मैं मुख्य मंत्री जी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ । उन्होंने सबसे पहले आते ही, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर उस एंटी कॉपिंग एक्ट को खत्म किया कि आज के बाद हमारे बच्चे 10 वीं, 12 वीं में जो नकल करना चाहें, किताब रखें या कुछ भी करें, वे कर सकते हैं । अगर हम सत्ताधारी लोग इस तरह का काम करते हैं तो वह बहुत गलत है ।

भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, अर्थात इस समाज के अंदर हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, जिसको हम वरिष्ठ मानते हैं, वे जैसा काम करते हैं, उनको देखकर साधारण लोग उनका अनुवर्तन करते हैं । उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं । महाजनो येन गत: स पन्था: । लेकिन आजकल महाजन भी ऐसे ही हो गए हैं । यह दुर्भाग्य की बात है ।

तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि हमारे नौजवान कैसे हों, युवा कैसे हों? युवा स्यात् साधु युवाध्यापक: । आशिष्ठो, दृधिष्ठो, बलिष्ठ: । तसयेयं पृथिवी सर्व वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्द: ।

शिक्षा ऐसी हो, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से तथा बौद्धिक रूप से ईमानदारी और क्षेत्र निर्माण पैदा कर सके । इस देश में इस प्रकार की शिक्षा थी, लेकिन आज हमारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । हमारी शिक्षा अर्थकारी होनी चाहिए । शिक्षा के चार प्रकार होते हैं । शिक्षा अर्थकारी होनी चाहिए, भोगकारी होनी चाहिए, यशकारी होनी चाहिए और सुखकारी होनी चाहिए । अगर आज आप डिग्री लेने के बाद एग्जाम दे सकते हैं, डिग्री लेने के बाद पुलिस में जवान बन सकते हैं या फौज में भर्ती हो सकते हैं, केवल हमारी यही क्वालिफिकेशन है और वह भी बेईमानी से करवाई गई हो जैसे किसी के पास ज्यादा पैसा होता है या गलत तरीके से कमाया गया हो तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और इसी प्रकार से परीक्षा में यह बात शुरू हुई ।

आदरणीय सभापति महोदय, मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी का जिक्र किया । अभी वहां भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार है । वहां योगी जी की सरकार आई है । उनको मालूम था कि यहां पर इतनी नकल होती है । उन्होंने इतनी शख्ती की । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स, उनको कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई, किसी सेंटर पर गड़बड़ी हुई तो आपके खिलाफ ऐक्शन होगा । इसका क्या परिणाम हुआ? इसका यह परिणाम हुआ कि 63.6 लाख छात्रों में से लगभग 15 बच्चों ने ऑप्ट आउट कर दिया कि हम एग्जाम नहीं देंगे, न तो 10 वीं का एग्जाम देंगे और न ही 12 वीं का एग्जाम देंगे । क्योंकि उनको मालूम था, वे नकल से पास होते थे । उसका रिजल्ट यह हुआ कि 10 वीं में केवल 14.7 प्रतिशत बच्चे पास हुए । मैं वर्ष 2018 की बात कर रहा हूं । वर्ष 2018 की बात कर रहा हूं कि less than 15 per cent children

passed their High School exam. लगभग 30.4 प्रतिशत बच्चों ने इंटरमीडिएट पास किया । हमें मालूम है कि जब सरकार ऐसी होगी, सरकार इतनी सख्त होगी । चाणक्य कहते थे कि दंड शास्ति प्रजा । बिना दंड के शासन नहीं चलाया जा सकता । इसलिए मैं डॉ. जितेन्द्र सिंह जी का अभिनंदन करता हूं कि वे ऐसा अधिनियम लेकर आए हैं, ऐसा बिल लेकर आए हैं, इसके अंदर सजा तीन से पांच साल, पांच से दस साल, एक लाख रुपए से दस लाख रुपए, एक करोड़ रुपए से दस करोड़ रुपए है । उन्होंने इसमें पनिशमेंट का प्रावधान किया है । उन्होंने ऑर्गनाइज्ड क्राइम कहा है । उसमें ऑर्गनाइज्ड क्राइम का सेक्शन लगना चाहिए ।? (व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । सॉरी सभापति महोदय ।

जो लोग सिंडिकेट रूप से काम करते हैं । कई वर्षों पहले स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जो परीक्षा कंडक्ट करता है, बच्चे उसे पास करके कस्टम इंस्पेक्टर्स बनते हैं । मैंने देखा है कि उसमें एक-एक, दो-दो जिले के 50-60 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं । यह कैसे संभव है? यह बिना नकल के संभव नहीं है । इसमें ऑर्गनाइज्ड रूप से कुछ लोग काम करते हैं । इसलिए इसके ऊपर बहुत सख्त कानून लाने की जरूरत है ।?(व्यवधान)

चाइना के बाद सबसे ज्यादा पीएचडी पैदा करने वाला हमारा देश है । मेरे पास वर्ष 2014 का डेटा है । उसके बाद इसमें कितना फर्क पड़ा है, मुझे मालूम नहीं है ।?(व्यवधान) पैसे देकर पीएचडी करते थे । बीस-बीस हजार रुपए में पीएचडी लिखवाते थे । ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं । We are producing so many Ph.D Scholars every year, but their contribution to the world knowledge system was less than one per cent.

जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने देश की शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी इनोवेशन और रिसर्च पर जोर दे रहे हैं, तो इस बात की जरूरत है कि हम लोग इस प्रकार का कानून इस देश में लाएं, जिससे किसी की नकल करने और करवाने की हिम्मत न हो । ऐसे सेंटर्स बर्खास्त किए जाएं, ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेज की लाइसेंस खत्म की जाए । मैं इतना कह कर बिल का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Chairperson Sir, I thank you for this opportunity given to me to speak on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

This is quite an interesting Bill that the Government of India has brought into this Parliament. I understand that the Government has seen through all the setbacks that have happened in the previous years. When a law is being enacted and is brought in the Parliament, it means that there had been some bad instances in the past and that the Government has taken them into cognizance and are now bringing a law.

One big scam that even shaked entire India was the Vyapam Scam, which happened in Madhya Pradesh that brought the nation to the foot, and wanted to ask what happened, when did it happen, how it happened and who all were involved in it.

The Government was silent at that time. After that, many competitive exams like NEET and UPSC were held in all parts of the country. There was news in the newspapers and on television that people were jumping into the windows and prodding the candidates. They were telling the candidates all the answers from the window. There were other candidates also. It was all there in the news. The Government was silent about that.

After all these years, there are so many unprivileged people who have been punished by the illegal malpractices. A study conducted by one of the leading papers says that 1.5 lakh students have lost their livelihoods because of these malpractices. Why has the Government introduced this Bill? Why did the Government look at the possibilities of reducing these malpractices? These questions have not been answered in the Bill at all. The Bill only talks about imprisonment, punishment and fine being imposed. But the Bill has not talked anything about how these malpractices can be controlled.

For example, who is behind these malpractices? What is causing these malpractices? Why does a student, who is appearing for the exam, have to get into malpractices? Is it because he is not prepared? The problem may be of language also. If the examination is conducted in their language, the malpractices could be curtailed. But the Government of India is very stubborn on the language policy where the exam has to be held in Hindi only. In regional areas like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and Andhra Pradesh, many of the candidates are from the State Boards and they are not proficient in Hindi. They are not able to answer these questions in Hindi. Therefore, the chances are less for them to pass the exam. Hence, they get into malpractices. The Government of India should have a comprehensive policy to open training centres for the candidates. The Government has not done anything about that. If a candidate sits in a UPSC exam or in a railway recruitment exam, what are the training centres available for him? What is the educational support that this Government has provided? The Government has done nothing. If you do something wrong, you will be punished. But what has the Government done for the aspirants? Are there any training centres set up by the Government? It has not been addressed or discussed here.

I am coming to another issue. You should take the State of Tamil Nadu as an example. For example, for UPSC candidates, our Tamil Nadu Chief Minister has given assistance of nearly Rs. 7000 to each and every UPSC candidate and for other candidates going to appear for different exams. When a candidate passes the

exam, a sum of Rs. 25,000 is paid to him or her for appearing for the interview. This kind of assistance is given by the Tamil Nadu Government.

There is another scheme called ?Naan Mudhalvan Scheme? which means ?I am the winner, I am the successor?. It is a name of that scheme. The students who are participating from Government schools, Government colleges, or private universities get exchanged at certain intervals so that even the students from the Government institutions are also getting the same kind of technological value addition in courses. In such a way, they can go for the competitive exams also. Therefore, the well-being of the candidates is being taken care of. They fairly perform in the exams. A lot of Tamil Nadu candidates appear for the UPSC exams but language is a barrier. Therefore, the Government should also look into the reasons behind this kind of malpractices.

The Government constituted a committee to examine all these kinds of malpractices. Where is the involvement of the States in the committee? The States have not been consulted. The States are not being involved in these committees. An arrest can be made with a warrant and a bail will not be a matter of right. Also, there can be up to three to five years of imprisonment and Rs. 10 lakh fine can be imposed.

So, if a proper enquiry is not done or partiality has been done or someone is going to be partial, who are the persons who are going to be identifying these law breakers? How is it going to be identified? Where is the Committee? Where is the involvement of the States? These are the pertinent questions that come up before enacting this law. The Government of India should look into all these things.

To summarize my submission to this august House, I request the Government of India to break this barrier of language which is causing all these malpractices. This is number one.

Secondly, please involve the States, encourage the States, give them the required funds so that all the students from the States will be able to participate in all these kinds of competitive exams.

Thirdly, please involve the States when some kind of malpractices happen. The involvement of the State should be there when the Committee is constituted to enquire into these kinds of malpractices. When the hon. Chairperson was speaking, he mentioned about the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or any other caste, community being partially or marginally penalized in these kinds of malpractices.

So, at the end of the day, the fear of the students has to be removed and only then fair and correct exams will happen. If you take the Western countries, whenever you go, these kinds of malpractices are not there. The technology has been involved. If we involve this kind of technology, then the malpractices will not be there. The exams are being conducted in the States and the State?s involvement has to be there.

With these words, I summarize my speech and say that this law may be amended with my amendments submitted in this august House. I request the Government of India to look into this and involve the States for the investment and time being spent for the future citizens of India.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Sir, thank you for allowing me to speak on this Bill, the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill.

Sir, this is a much-needed law and was much awaited by crores of youths who have suffered due to paper leaks, especially in job recruitment. Without taking names of States that have seen such leaks, it can be safely said that this law would deter further leaks, as a specific law to punish the wrongdoers which was missing.

There are a few positive things in this Bill which I would like to point out. The Bill promotes transparency and fairness. The Bill is designed to increase the transparency, fairness, and credibility of public examination systems. This ensures that the hard work and genuine efforts of candidates are rightly acknowledged and rewarded, thereby safeguarding their future prospects.

The Bill serves as a model draft for States, offering them the discretion to adopt its provisions. This helps in establishing a uniform approach to tackle malpractices in public examinations across different States and prevents disruption in State-level public examinations.

The Bill deters against unfair practices. Section 10 of the Bill by punishing any person resorting to unfair means and offences to be punished with imprisonment of three to five years and a fine of Rs. 10 lakh, effectively deters individuals, organized groups, or institutions indulging in unfair means, thereby protecting the integrity of the public examination systems. It ensures that those who seek to exploit the vulnerabilities of the examination system for monetary or wrongful gains are legally discouraged and held accountable.

There are some suggestions from my Party. Why is a candidate given immunity from the Bill if he indulges in malpractices that lead to the examination process being vitiated? The Bill mentions that a candidate shall not be liable for action within the purview of the Bill. I would be happy if the hon. Minister could clarify this limitation of the functioning of the Bill if the candidate is a wrongdoer.

Secondly, the Bill's implementation might require significant financial and human resources, raising concerns about its practicality and effectiveness, especially in rural or resource-limited settings. Has the hon. Minister made a plan on ensuring that such limitations of resources do not limit the effectiveness of the Bill? The requirement for States to adopt similar legislation could lead to inconsistencies in application and enforcement, potentially creating disparities in the examination systems across different regions.

Does the hon. Minister plan on asking the UPSC to engage with the States and helping them out in enforcing the provisions of the Bill?

In conclusion, the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 represents a pivotal stride towards ensuring integrity and fairness in public examination systems. However, the Bill does raise certain concerns that merit further clarification and planning. The exemption of candidates from punitive measures even when involved in malpractices, needs more clarity to ensure that the law is comprehensive and leaves no room for exploitation. With the right measures and continued oversight, this Bill has the potential to significantly enhance the credibility of our public examination systems, fostering a more just and merit-based society.

In Andhra Pradesh too the Government has taken strict action against people who indulged in leaking exam papers of Class 10 at Narayana School in Tirupati. Our hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu has always taken the strongest action against such forms of corruption, irregularities and other criminal activities.

With these suggestions and comments, I support the Bill on behalf of my YSR Congress Party.

श्री राहुल रमेश शेवाले **(मुम्बई दक्षिण-मध्य):** महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना है ।

महोदय, वर्तमान में केन्द्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं था ।

महोदय, परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर देश में, खासकर युवाओं में चिंता थी । प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं । यह विधेयक नापाक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए बहुत आवश्यक हो गया था ।

महोदय, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, ग्रुप-डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के मामले सामने आये । प्रश्नपत्र लीक होने के बाद हरियाणा में पदों पर भर्ती, गुजरात में जूनियर क्लर्कों की भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी । ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं था ।

महोदय, इस विधेयक में सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने और युवाओं को आश्वस्त करने की परिकल्पना की गई है कि उनके ईमानदार प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा ।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य छात्रों को निशाना बनाए बिना संगठित गिरोहों, माफिया तत्वों और कदाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है । दोषी पाए गए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना बहुत जरूरी हो गया था । इस विधेयक के कानून बनने पर यह संभव हो जाएगा ।

महोदय, सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन करने का प्रावधान है, जो कम्प्यूटरीकृत परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी ।

महोदय, समिति डिजिटल प्लेटफार्मों को इन्सुलेट करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी, फुलप्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के तरीके और साधन तैयार करेगी, परीक्षा केन्द्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करेगी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले आईटी और भौतिक बुनियादी ढांचे, दोनों के लिए राष्ट्रीय मानक और सेवाएं तैयार करेगी ।

महोदय, नापाक तत्वों को प्रतिरूपण विधियों का उपयोग करने और पेपर लीक और अन्य कदाचार में लिप्त होने की घटनाएँ रोकने के लिए यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के लिए 3 से 10 साल तक की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है । इससे सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार में कमी आयेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है ।

महोदय, इससे सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड(आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक संस्थान द्वारा आयोजित केन्द्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी ।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । On behalf of my party Biju Janata Dal, I stand here to support the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 introduced by hon. Union Minister Shri Jitendra Singh ji. I believe that the intent of the Bill is very good, to preserve the value of a public examination as a test of merit.

If unfair means at public examinations continue to be very common, like it is today, the aspirants and students believe that they have a right to do so because so many others have done so without being penalised. Cheating leads to delays and cancellation of examinations adversely impacting the prospects of millions of youth. In the absence of any specific law to deal with unfair means and offences committed in the conduct of public examinations, we welcome the legislation from the Government of India. In this context, I would also like to mention that in our State of Odisha, all the examinations have always been conducted with fair means till date. No paper leaks, etc., are being reported like in a few other States where they have been reported frequently. In this context also, I would like to appreciate the provision with regard to checking malpractices and organised cheating in Government recruitment exams, proposing a minimum imprisonment and also a fine for persons and organisations indulging in such illegal practices.

Common practices like leakage of question paper or answer key, directly or indirectly assisting the candidate in any unauthorised manner, tampering with the computer network or a computer resource or a computer system, creation of fake website to cheat, conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters, manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations, will be controlled because it will now carry punishment and a fine for both individual and the service provider including barring from assignments being given.

Hon. Chairperson, Sir, I am from the field of education and I am surprised and shocked by the new ways that some notorious students and ill-intentioned people are coming up with. In every examination season, the media reports scandals. It has now gone high-tech. The recent hit cinema 12th Fail brings this out in a harsh

and real form. So, this is definitely the need of the hour. But we need to go to the root cause also. Merely tackling the menace of corruption is not enough as it is just a symptom of deeper issues in the system. The main cause which is there is a mismatch between the number of aspirants and number of opportunities that are available. Learning is conditioned by the proposed examination system. If the examination pattern tests mostly memory, then teaching will ensure that students only prepare for rote memory. This is the general pattern. We need to address this issue. NEP-2020 goes a long way in handling it in formative years.

In a situation where opportunities aspired for are really limited, the boundary between the selected and rejected candidates is a simple cut-off score. It is not unreasonable to imagine that while those selected are deserving, there could be deserving candidates even among those rejected. A large number of aspirants, huge amount of resources spent on them by families is a testimony of their keenness to crack the exam. The coaching centres focus on techniques of cracking the exam and time management, and they frequently conduct a series of mock exams to churn out exam-smart students. The climate of cruel competition is instilled in both schools and coaching centres whereby students are taught to view their classmates as rivals. Cheating despite being unethical is similarly perceived as an effective shortcut to passing the exam. Desperate parents also go to any extent to see their children emerge victorious in exams and also in games.

In the Indian educational set-up and context, the element of fear underlies most activities associated with learning and assessing. The presence of fear is often justified as being important for learning and is used to scare, threaten or intimidate children. Fear associated with consequences of not learning takes precedence over the joy of learning.

The exams are more about elimination than selection thereby enhancing the importance of coaching. Fear is a key component of such exams as implications of success and failure in them are severe. What are the possible solutions available?

I have some alternate methods. Perhaps more humane way of examining students' aptitude and competence needs to be identified.

They must have entrepreneurship skills. Students should be helped in honing their entrepreneurship skills.

They must have meaningful choices. Make education more meaningful that supports students to make choices that are not influenced by their social prestige

like engineering and medicine and more importantly be given opportunities and supported to develop different facets of their personality.

There must be responsive education. Make education responsive to employment skills required. However, a unilateral relationship between education simply responding to market needs will do more harm than good.

I hope these issues are addressed behaviourally and we stand to support the Bill. In this regard, I would also request to see that financial punishment and imprisonment should be lessened in case of students. It should be more strict for the agency or the institutes or the centres that are really practising and motivating students to adopt the unfair means.

In case of financial punishment and imprisonment, it should be less for the students. It is because they do not have knowledge as to when they adopted this unfair method during the examination.

Thank you very much.

श्री राजीव प्रताप रूडी **(सारण):** सभापति महोदय, माननीय सामंत साहब जो बोल रहे थे, ये अपने यहां 40,000 गरीब, आदिवासी बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाते हैं, जो नर्सरी से लेकर प्लस-2 तक है । अगर मन्दिर देखना है तो इनके विश्वविद्यालय में जाकर देखिए । 40,000 बच्चे और वे भी आदिवासी बच्चे इनके यहां नि:शुल्क पढ़ते हैं । देश में गरीबों को शिक्षा देने वाले ये माननीय सांसद सचमुच बधाई के पात्र हैं ।

HON. CHAIRPERSON (Shri Kodikunil Suresh): The entire House associates with him.

DR. JITENDRA SINGH: In the end, I will respond in detail but I just wanted to clarify. May be, I have not been able to communicate that part. The student is not under the purview of this law. So, I will explain that when I respond finally. But we have not kept the student or the candidate in the purview of this law.

श्री मलूक नागर **(बिजनौर) :** सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । ऐसा लगता है कि जो बिल है, उसी को ज्यादातर पढ़कर हम लोग बोल रहे हैं । इसमें जो बात रखी गयी है, देश में आने वाले भविष्य को देखकर जो यह कदम है, यह बहुत ही अच्छा है और सराहना के लायक है ।

पिछले दिनों हम देखते थे कि देश के कई प्रदेशों में पेपर लीक हो गए, नकल हो गयी, कहीं रात में तिजोरी तोड़ कर उसे निकाल लिया, एफ.आई.आर. हो गयी, तीन दिनों में अरेस्ट कर लिया गया । खासकर, राजस्थान में जो पिछली सरकार गयी है, वहां की सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पैदल यात्रा के दौरान कई बार बयान दिए कि राजस्थान में पूरा घोटाला और माफियागिरी चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए ।

महोदय, यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं । मैं डी.ओ.पी.टी. की स्टैण्डिंग कमेटी में भी हूं और अभी ही वहां से मीटिंग अटेन्ड करके आया हूं । माननीय मंत्री जी आगे के लिए जो यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं जिसमें एक करोड़ रुपये की आर्थिक सजा और तीन साल से दस साल तक की सजा दी जाएगी, यह बहुत ही अच्छी बात है ।

लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो सुर्खियां, अखबारों में जो खबर आई हैं, वे जो घोटाले हुए हैं, उनमें जो गैर जिम्मेदार और नाकाबिल अधिकारी, जो नौकरी के सहारे आगे पहुंचे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ । मैं कहना चाहता हूँ कि समय-समय पर इस तरह के ससपीशिएस लोग, जिनको देख कर लगता है कि नकल कर के आए हैं, उनके आचरण को देख कर हर प्रदेश में एक कमिटी बने, जो बीच-बीच में रैंडम चैकिंग करे और इस तरह के लोगों पर लगाम लगाई जा सके, जिससे आगे आने वाले समय में ऐसा न हो । सरकार जो अमेंडमेंट ले कर आयी है, वह बहुत ही उचित है । इससे ऐसे काम करने वालों में खौफ और डर हो, जिससे वे ऐसी कोई घटना न कर पाएं । मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार जो यह बिल ले कर आई हैं, उसमें देश की सीमाओं, खास कर कश्मीर में, मंत्री जी जम्मू कश्मीर से ही हैं, जो गांव सीमाओं पर हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ ऐसी व्यवस्था हो, या तो वहां पर बड़े स्कूल और बड़े कॉलेज बनाए जाएं या वहां पर ऐसे कोचिंग सेंटर्स खोले जाएं, जिनसे कि पूरे देश में उनको भी अपनी प्रतिभा दिखने का मौका मिले और इस सख्त कानून के होते हुए, वे क्वालिफाई कर के जाएं तो देश के लिए उनको कुछ करने का मिलेगा ।

सर, मैं डीओपीटी और लॉ एण्ड जस्टिस कमिटी में हूँ, अक्सर हमारा कंवर्सेशन होता रहता है और कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती है, जहां मैं अपनी राय नहीं रखता हूँ । इसलिए मंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम ज्यूडिशरी से संबंधित होते हैं, वे भी इसी रास्ते से जाएं । यह जो दिल्ली है, जहां हम बैठे हैं, इस लुटियन्स जोन में, रायसीना एरिया में, पता नहीं केजरीवाल साहब की सरकार क्या कर रही है या पता नहीं सेंट्रल गवर्मेंट क्या कर रही है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामी है कि जहां बाकी सभी राज्यों में ज्यूडिशरी में पिछड़ों और दलितों के लिए रिज़र्वेशन है, वहीं दिल्ली में यह रिज़र्वेशन नहीं है । इसलिए मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि दिल्ली और देश के जिन प्रदेशों में भी ज्यूडिशरी में पिछड़ों और दलितों के लिए रिज़र्वेशन नहीं है, वहां पर भी यह आरक्षण लागू किया जाना चाहिए ।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है । यह मांग मैंने पिछली बार भी की थी । उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, जिसमें से साढ़े आठ करोड़ की आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है । मैं फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग यहां पर रखना चाहता हूँ । यह मांग सन् 1953 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने उठायी थी । सन् 1955 में बाबा साहब अंबेडकर ने भी यह मांग रखी थी । सन् 1989 में इस संबंध में के.सी. त्यागी जी ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी । वर्ष 2012 में बहन कुमारी मायावती जी ने इसका प्रस्ताव प्रदेश की सरकार से प्रस्ताव पास कर के केंद्र के पास भेजा था। इसलिए मैं भी आज इस मांग को यहां पर दोबारा उठा रहा हूँ । साथ ही, जब तक इस काम में देरी हो, तब तक मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना होनी चाहिए । ?
(व्यवधान)

इसके साथ ही, हम इस बिल की सराहना करते हुए, इसका समर्थन करते हैं ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party in support of this Bill. I was a little surprised by the Treasury Benches when they started the debate. An hon. Member, Dr. Satya Pal Singh who himself has been through such examinations has shown so much grey things about examinations. That was a bit disappointing for a person who has already been through the system to talk against the system. It puts him also in grey area, which was little disappointing for me also. क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, वहां पर वर्दी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है । ईमानदारी मतलब पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी वर्दी पहनता है, उसे हम ईमानदार ही समझते हैं ।

15.00 hrs

जिन्होंने वर्दी पहनी है, अगर वह ही एग्जाम पर क्वेश्चन मार्क उठाए तो मैं अंदर से हिल जाती हूं कि अभी हम किस पर विश्वास करें । So, it was a little disappointing for me for the gentleman to speak the way he did. उन्होंने ईमानदारी के बारे में कहा । उन्होंने कहा कि वह न्यूयॉर्क गए थे और न्यूयॉर्क में ही ईमानदारी की बात सुनी । अगर आप अपनी माँ की बात सुन लेते तो आपको न्यूयॉर्क जाने की जरुरत नहीं पड़ती । अगर इस देश में ईमानदारी का सबसे बड़ा कोई गुरू है तो वह अपनी माँ है । सबसे ज्यादा ईमानदार बच्चे को कौन बनाना सीखाती है तो वह माँ सीखाती है । I do not know in what context he was giving the example of New York and all. I am just putting things in context about *imaandari*. ईमानदारी कोई क्वालीफिकेशन नहीं है, बल्कि वह अपना संस्कार है । हमें ईमानदार होना ही चाहिए । मैं ईमानदार हूं, इसे हमें बोलने की जरुरत नहीं है । You are *imaandari*, it is a good thing. सब को ईमानदार होना चाहिए ।

Sir, while I am complementing this Government for bringing this Bill, I seek a few clarifications so that we can put this in context when the country watches it. जब यह बिल लाया जा रहा था तो मैंने एक फिल्म देखा । It is called 12th Fail. 12th फेल में एक डायलॉग था कि जमी-जमायी व्यवस्था । It means, there is a system which has already been set. Who has set this system if we say that there is a case? It is either the school authority or the local school education department or the local administration or the political patronage or the State-sponsored activity. We do not know but this is what we have read over the last many years. My question to the Government is this. There is either a criminal action or a civil action. In the jurisprudence, I would like to seek clarification about the penalty of Rs. 1 crore and jail.

The Government has clarified, Sir, in the form of an intervention that they are not making it student-centric, it is going to be institution-centric. I would like to know how this system is going to work. Is there going to be a rational approach? I am completely with the Government. अगर आप गलती करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा । But, already, there is a system in place. If there is any scam, people do get caught. Then,

what is the difference in what you are bringing in today in the Bill that did not exist in the past?

The other alarming thing which even Kadhir has mentioned and which I would also like to highlight to the hon. Minister is this. Can we not have a foolproof system ourselves with the use of technology? आज आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस सहित कितनी सारी चीजें हो रही हैं । Is there a way by which we can make sure that there are no leakages in the exams by using technology? But, there is another side of technology. It is because of technology, people are copying more. There is usage of walkie-talkie, earphones, ChatGPT, etc. How is the Government going to control this technology from both ends, from the examiner?s side or the person who is giving the exams?

Sir, the Government has given the example of Rajasthan and West Bengal. With full humility, I would like to highlight a few things. I think, the hon. Minister has not read it or it is not coming in the daily newspapers but in 2023-24, महाराष्ट्र में आप की ही सरकार है । वहाँ भी तलाठी का एक स्कैम हुआ था । You will be surprised with the numbers. Around 11 lakh children applied for that exam. It is because of the leakage of paper, they had to cancel the exam. Most of these exams are getting outsourced now to the companies like Infosys or TCS. Is that the right thing? जो पहले था, वह अच्छा था । I am just putting all the points to the Government. I am not criticising the Government. It is a very democratic debate. As a parent or as a citizen, these are the concerns brought to us in our constituencies by several aspirants. Was it good that earlier it was done by the Government or not? क्योंकि महाराष्ट्र में तलाठी की जो एग्जाम हुई थी, उसे महाराष्ट्र सरकार ने आउटसोर्स की थी । वहां घपला हुआ है, ऐसा आरोप लगा है । इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? It is my question to the Government. About 11 lakh people applied for it. There are electronic devices.

There is another exam which is in Maharashtra State Council about teacher?s job. टीचर का जॉब सरकारी नौकरी के लिए था । There, a person made Rs. 4.85 crore from the aspirants. These are all examples. I am not blaming any Government. हर सरकार में ऐसा होता है । ऐसा नहीं है कि आप ही की सरकार में ऐसा होता है और हमारी सरकार में नहीं होता है । Why can we not take a holistic view and find a way where these issues can be resolved above politics?

The other question is about coaching classes. There are lot of coaching classes. We put out advertisements that हम 100 परसेंट आपको जॉब दे देंगे । Who can give that guarantee? I would like to know whether the advertisement of these coaching classes also come under its radar. Who is accountable for this. What you are saying is the corruption which starts here.

लोग बोलते हैं कि हमें इतना पैसा दे दो, आप यहां कोचिंग क्लास में आओ, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी । So, is there going to be any accountability at this level also?

Then, you said ?service provider?. It is an organised crime. What is the specific meaning of ?service provider? and ?organised crime?? In the Bill, you have said, डायरेक्टर को पकड़ लेंगे । There may be ten Directors out of whom nine may be innocent. How will your track that this is the Director who has created this?

I am just quoting an example. I hope, TCS does not feel bad about it. टीसीएस को महाराष्ट्र सरकार ने आउटसोर्स कर दिया, तलाठी में कुछ घपला हो गया । How will you reach the Director who has done that? What is the system in place? How are you going to get answers to these? How will you find the culprit in the system which is so electronic in today?s day and age? I am worried and concerned about the methodology of how you are going to do it. There is even the term ?delay and cancellation of the exam?. एग्जाम डिले ओर कैंसिलेशन तो सरकार करती है । How will you hold the Government responsible? So, will the Government, be it any State Government, also be responsible in a timeline manner if they delay or cancel? But how will the children benefit out of it? पेपर लीक हुआ तो कैंसिल हो गया । How will you hold the Government responsible? Who will be the competent authority? It is too vague. I am not questioning the Government?s or the DoPT?s intent at all. My point is, the intent may be very, very good. But, how are you going to implement it? It should not just be a flowery thing where it all looks good. So, my question to this Government is this. Various Governments have been through various challenges. No Government allows these kinds of things.

आपने कुछ चाचा-भतीजा वगैरह बोला था । I felt a bit bad because at least, the State where I come from, we are very proud of our IAS and IPS officers. They are an extraordinarily talented team. They have done the amount of work the politicians have done in building my State. My Collector is outstanding; my Divisional Commissioner is outstanding; my CEO, Zila Parishad is outstanding. They have come from Zila Parishad schools, who have worked very hard, very honestly, and built my State as much as we have built the State as politicians, whichever party we represent. So, I think, it would be unfair to say that पहले ऐसा होता था । Does that mean you are challenging the whole system which has actually flawlessly served? There are so many IAS and IPS officers here in this room as well. They have worked very hard to get where they are. So, it is very unfair to make it political. I again say that it is a great system. We have been very proud of the DoPT over the last years. I think, we are expecting transparency and fairness. So, we appreciate your intent

but let us not criminalize everybody. So, it would be good if you could kindly clarify what different are you doing than before. I hope, India works only on merit, and we support the Government on this Bill. Thank you.

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): सभापति जी, मैं लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक का समर्थन अपने एवं अपनी पार्टी की तरफ से करता हूं । पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले ने लाखों छात्रों और अभ्यार्थियों के हितों को प्रभावित किया है । इसे रोकना जरूरी है । ऐसा नहीं करना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा । प्रश्न पत्र लीक होने के कारण कई छात्रों को डिप्रेशन हो रहा था तो कुछ आत्महत्या तक करने की सोच लेते थे । मेधावी छात्र मेरिट होने के बावजूद अपना मुकाम नहीं पा रहे थे । ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक का सारा जोर संगठित माफिया व पेपर लीक एवं पेपर हल करने, प्रतिरूपण, कंप्यूटर संसाधनों के हैकिंग में लगे संस्थानों पर नकेल कसना है । सबसे अच्छी बात यह है कि प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध माफिया और साठ-गांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक, 2024 में पर्चा लीक करने, दूसरे की जगह परीक्षा देने, प्रश्न पत्र हल करने या इसमें मदद करने, परीक्षा केंद्र की बजाय अन्य जगह पर परीक्षा कराने, परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं करने पर तीन से पांच साल की जेल की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है । यह बहुत ही सराहनीय कार्य है । कंप्यूटर आधारित केंद्रों पर परीक्षा का संचालन करने वालों को कदाचार साबित होने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा ।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । मेरा एक सुझाव है । सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जनमानस में भी सुधार करने के लिए प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है । सरकार कानून बना रही है, इसका जनमानस में प्रचार-प्रसार होना चाहिए तभी इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा । हर व्यक्ति इस बात को समझे कि अब बिना पढ़े पास करने से कोई फायदा नहीं है । इसके अलावा, शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे, इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है । कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए समिति सिफारिशें करेगी । इसके लिए कानून के दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए नहीं होने वाले परीक्षाएं भी आएंगी । किसी धांधली के कारण अगर परीक्षा रद्द हुई तो इसका खर्च दोषी पाए गए सेवा प्रदात्ताओं एवं संस्थाओं को भुगतना होगा ।

यह विधेयक हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है और इससे हमारा प्रदेश बिहार सहित देश के सभी युवाओं को फायदा होगा और न्याय दिलाएगा । हम एक बेहतर भारत की बुनियाद रख सकेंगे । इसके साथ-साथ हम एक और बात कहना चाहते हैं कि एग्जाम में वाइवा के सिस्टम को खत्म करना चाहिए, वह भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रास्ता है ।

मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं ।

जय बिहार, जय हिन्द । धन्यवाद ।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

Sir, the dream of any youth is to get a government job, and the purpose of their appearing in an exam is either to pursue higher education or to get a government job. The Central Government jobs can be achieved through exams conducted by Railway Recruitment Board, Staff Selection Commission, banks etc. After getting a government job, especially a Central Government job, one gets a lot of opportunities. Immediately he will go for a loan. He or she can get married. So, the dreams are plenty.

In the past, there have been several leaks in the system. I am observing for a long time that the hon. Members in this august House have been talking on this Bill extensively, and the hon. Minister also mentioned the importance of this Bill. I appreciate that this Bill is essential. It is the need of the hour. There is no doubt about that. But we all remember as to what happened in Vayapam scam. Let us not politicise this Bill. It is a very serious issue. Almost 2000 FIRs were registered and many lives lost. What answer are we going to give for this?

Sir, conducting an exam is not a joke. Starting from preparing a question paper to printing, coding, distribution, evaluation, declaration of results, then re-examination, re-calculation, and so many other things are there. So, there should be leak proof system. We have adopted a system to ensure transparency through various steps like self-attestation by candidates, shortening of exam cycle from 18 months to six to eight months, allowing of computer-based exams so that interviews do not take place, digital certification, digital work orders, etc. In spite of all these efforts, which the Government has been taking for long, it is heartbreaking to know that almost 41 document leak cases have taken place. It has been reported in 15 States, that is, all across India it is happening.

Almost 14 million people have applied for about 1.04 lakh employment opportunities. Look at their condition. Once an incident of unfair means takes place, immediately the examination gets cancelled, and nobody knows when the next exam will take place. Dreams of millions of youths are shattered. I urge this Government, as my fellow colleague from the Congress Party, Shri K. Suresh mentioned, that re-examination should take place within three months from the date of cancellation.

Please consider this important issue because the youth cannot wait indefinitely. Till now, in around 41 leaked paper cases, there is no FIR filed and no arrest has been made.

We are really surprised to know that there is no legislation to specifically deal with these unfair means. That is why, now the Government is bringing this Bill. We appreciate it. Malpractices or unfair means take place in several ways ? leakage of papers, impersonation, unauthorised entry into the examination centres. Even the computers are being hacked. It is coming in the Bill. I would like to ask when computers can be hacked, why can the EVMs not be hacked. Let us not brush aside this point. When this Government is bringing about the issue of computers being hacked, then EVMs can also be hacked. I think, this Government should also focus on bringing a separate legislation for that. Examinations and elections are not different entities. We have to consider both of them equally and important.

In the Bill, the punishment is extending from three years to ten years and fine up to one crore of rupees. At the same time, when the service providers are being punished, the important point is not only the employee; the management team and their core person also has to be roped into the investigations. I think, the investigation is done by DSP or ACP level officer. When the system is going on like this, I would like to say that this is a very good system. A legislation should be brought, offence should be inquired into and if a person is proven guilty, he should be punished.

This is for the Central Government examination centres alone. If you see it percentage-wise, more people are appearing in the private examinations which are conducted by private colleges and deemed universities. Candidates are appearing for examination in connection with their graduation, post-graduation and higher education in their own colleges or universities. I am not saying that all the deemed universities or private institutions are indulging in malpractices. But some biased practices are still taking place in the name of ?internals?. So, what is the regulatory system which this Government is going to have to control it? We should have some monitoring system because the most talented people are being deprived and untalented, unqualified or less qualified people are being pushed and encouraged by the management. The Government should think about this in a comprehensive manner as to how they are going to rope in the management team, the deemed university people also for conducting examinations.

This Government has brought in a legislation, which is welcome-able with some recommendations being passed on from our side. Most importantly, I am happy to see that the Minister, while presenting this Bill, is talking about the level-playing ground, but level-playing ground comes when the students of government schools

and private schools, and government institutions and private institutions have to face the examination called NEET! In Tamil Nadu, we are vehemently opposing NEET because the students are trained in the government syllabus in a particular language and they have to compete with the students from all over India who are being educated in the private institutions, and the syllabus and the examination papers are being prepared at the Central level. Where is the level-playing field here? I would request this Government to consider this disparity with motherly nature and approach.

He has also mentioned about so many suicides. In Tamil Nadu, so many suicides have taken place because our children are not able to get through the NEET examinations in spite scoring excellent and outstanding marks in the examinations at State level. So, a comprehensive Bill has to be passed.

We support the Bill. At the same time, there are some suggestions which we are giving to this Government. I would request the hon. Minister to consider them.

Once again, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

Thank you.

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी **(**बालासोर**)**: चेयरमैन सर, इस बिल में पार्टिसिपेट करने के लिए और मुझे अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 अथवा The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 एक ऐतिहासिक बिल है । मोदी जी की सरकार के लिए यह एक चांस है । इस देश में बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा की जाती थी, परीक्षा पद्धति को संशोधित करने के लिए मान्यवर मोदी जी के समय में यह हुआ तथा माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को भी इसके लिए धन्यवाद ।

महोदय, इस कानून की बहुत आवश्यकता थी । मुझे मोहनदास करमचंद गांधी जी की याद आती है, जो बाद में महात्मा गांधी बने । बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय एक समय गोरा इंस्पेक्टर आया था और उसने 5 शब्दों का डिक्टेशन दिया । सारे बच्चों ने ठीक करके लिखा, लेकिन मोहन दास जी का एक शब्द गलत था । टीचर ने उनको कितना इन्स्पायर किया कि इसका करेक्शन देखकर कर दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वह बचपन से सत्य के पुजारी थे । अत: उन्होंने ऐसा करने के लिए नहीं माना । अगर हर विद्यार्थी मोहन दास जैसा होता, तो इस कानून की जरूरत नहीं होती, लेकिन कानून की जरूरत इसलिए है, क्योंकि हर विद्यार्थी ऐसा नीतिवान नहीं है । कानून की आवश्यकता उनके लिए है, जो कानून को तोड़ते हैं । कानून को मानने वालों के लिए, स्वयं अनुशासित रहने वालों के लिए कानून की जरूरत नहीं है । हमारे शास्त्रों में लिखा है ?

?न राज्यं न च राजासीत्, न दण्डो न च दाण्डिक:?

अर्थात्, एक आदर्श राष्ट्र में राजा और प्रजा नहीं होनी चाहिए, दंड देने वाला और दंड लेने वाला नहीं होना चाहिए । जब तक ऐसी नागरिक चेतना विकसित नहीं होती है, तब तक कानून की जरूरत है । कानून के बिना ऐसा एक

दिन भी नहीं चलेगा, इसलिए कानून की बहुत जरूरत है । आज हम देखते हैं कि सीनियर अधिकारी, लीडर्स, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति इस पाप कर्म में सहभागी होते हैं । जैसा हमारे मित्र सत्यपाल सिंह जी ने बोला कि एक राज्य में ऐसा हुआ था कि इसको लीगलाइज करने की कोशिश की गई और सारे पुलिस अधिकारी भी मिलकर इसमें सहभागी बने । शासन बदल जाने से प्रशासन का चरित्र भी बदल जाता है । जो पुलिस उस समय कॉपी सप्लाई करती थी, आज वह कॉपी को डंडा लेकर रोकती है । इसीलिए हमको इस कानून की बहुत जरूरत है । कानून न होने के कारण समानुपातिक दंड व्यवस्था भी नहीं हो सकती है, इसलिए यह भय भी पैदा नहीं होता है । टेररिस्ट को टेरराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कानून जरूरी है । परीक्षा में माल प्रैक्टिस कई दिनों से चल रही है । यह आज की बात नहीं है । अति प्राचीन काल में हमारे देश में एक बच्चे को रॉयल स्कूल में एडमिशन देने से इंकार कर दिया गया । उसका नाम एकलव्य था । द्रोणाचार्य ने जब अरण्य में देखा कि वह खुद अपनी निष्ठा, आत्मविश्वास के बल पर अपने पौरुष को प्रदर्शित कर सकता है, तो 12-14 साल तक राज्य के परिवेश में जिसने द्रोणाचार्य से ट्रेनिंग ली थी, उनको एकलव्य ने फॉर्मल एजुकेशन न होने के बावजूद बिल्कुल दबा दिया, परास्त कर दिया, तो द्रोणाचार्य ने माल प्रैक्टिस का सहारा लिया और उसका अंगूठा कटवा दिया । इस तरह उन्होंने गुरुकुल को कलंकित कर दिया । आज भी मैं देखता हूं कि कई ट्यूशन मास्टर जाकर परीक्षा हॉल में कॉपी सप्लाई करते हैं । 25 साल से मैं यह देखता आ रहा हूं । मेरे जीवन में बहुत कटु अनुभव है । एक बार मैं एक कॉलेज में इनविजिलेटर का काम कर रहा था । हाई कोर्ट के जस्टिस का बेटा परीक्षा दे रहा था । उसने बहुत माल प्रैक्टिस की । उसने बाहर जाकर कॉपी कलेक्ट की । मैंने उसे पकड़ा और उसके खिलाफ लिखा। उसने कई महीनों तक प्रभावी अधिकारियों को लाकर मुझे प्रभावित करने की कोशिश की कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो । उसके बाद उसने धमकी दी कि तुमको अरेस्ट करवा देंगे । मैंने बोला कि मुझे अरेस्ट होने का कोई डर नहीं है । कॉपी पकड़कर मैं अरेस्ट होने को तैयार हूं, लेकिन जजमेंट बेचने वालों की बात को मैं कभी नहीं मानूंगा । इस तरह से मैं कई बड़े-बड़े लोगों की कॉपी पकड़ने के कारण शिकार बना ।

सर, हमारे मित्र अच्युतानंद सामंत जी ने बोला कि ओडिशा में ऐसा कुछ नहीं है । ओडिशा में ऐसा क्या-क्या है, इसका मैं जीवंत उदाहरण हूं । ओडिशा में मैं विधायक था । मैं काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मेम्बर था । मैं एग्जामिनेशन कमेटी और एग्जिक्यूटिव कमेटी में भी था । वहां फेल करने वाले स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास कर दिया गया और फर्स्ट क्लास क्लास वाले को फेल कर दिया गया । मैं इसकी इंक्वायरी कमेटी में भी मुख्य था । हम उस कॉलेज में गए और उसको पकड़ा । इसमें उस कॉलेज का प्रिंसिपल ही पूरी तरह से जिम्मेदार था । मैंने हायर एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और उनको सारी रिपोर्ट दे दी । उसके मैनेजमेंट ने हमसे कितनी चापलूसी की, लेकिन हमने नहीं सुना । हमने इस पूरे रहस्य का भंडाफोड़ कर दिया । वह भी मान गया। उनको लिख कर उसका सबूत भी ले आये । तब सरकार बोली कि यह ब्लॉक ग्रांट कॉलेज है, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, the Government cannot be helpless before anybody. The Government can withdraw the concurrence, and the Council can withdraw the affiliation. Let them start a tuition centre. बाद में उस प्रिंसिपल को हटाने के लिए मैनेजमेंट राजी हो गया । ऐसे कई उदाहरण हैं, जो मुझे मालूम है । गौतम मरांडी नाम का आदिवासी, पितृहीन, वनवासी लड़का सारे विषयों में फर्स्ट क्लास आया था और सिर्फ मैथमेटिक्स में एक नंबर से फेल हो गया । मैंने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसीडेंट को फोन किया । उनके हेडमास्टर को बोला और वह हेडमास्टर आया । मैंने उनसे बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता है । तब दो दिन बाकी थे, for last date of submission of form for college admission. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसीडेंट ने, जो बाद में डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन बने, उन्होंने मुझे बताया कि मैथमैटिक्स में उनका नंबर 54 है, जिसको 1 कर दिया गया । इस इंक्वायरी में पता चला कि एक लड़के को फर्स्ट क्लास देने के लिए 6 लड़कों को फेल किया गया । इस केस में एक स्टाफ भी आज तक सस्पेंड होकर बैठा हुआ है ।

सर, मैंने जिद की कि 24 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट को रेक्टिफाई किया जाए । उस लड़के को लेकर मैं अच्युतानंद सामंत जी के इंस्टीट्यूट में गया । उस लड़के ने वहां से ग्रेजुएशन किया । यह तो उदाहरण है कि ओडिशा में क्या चलता है । ओडिशा में मालप्रैक्टिस भी है । हाँ, कई राज्यों की तुलना में वहां कम हो सकता है । ऐसे मैं कितने हजारों उदाहरण दे सकता हूं ।

सर, अनुचित पद्धति या पदार्थों का अवलम्बन । मेरा क्या अवसर है, मैं नहीं जानता । कभी-कभी मुझे फोन कर देते हैं, कोई स्टूडेंट फोन कर देता है, कोई अध्यापक फोन कर देता है, फलां कॉलेज में 22 दिन के प्रश्न-पत्र को रख दिया गया है । वह भेजा नहीं गया । जब हमने उसकी इनक्वायरी की तो ऐसा ही पाया । मैंने वाइस चांसलर को बोलकर एक प्रोफेसर को भेजा, तब 22 दिन के बारे में मालूम पड़ा । वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि हमने इसलिए रखा था कि इससे पोस्टेज खर्च कम लगेगा । बाद में, सारा रिजल्ट कैंसिल हो गया । यह चलता था और आज भी चलता है । जब तक ह्यूमन कैरेक्टर में ऐसा एक्सीलेंस नहीं आएगा, तब तक यह चलता रहेगा । टेक्नोलॉजी मानव से बड़ी नहीं है, फिर भी इससे बहुत नियंत्रित हो जाएगा । बेईमानों को विज्ञान के द्वारा हम ईमानदार नहीं बना सकते हैं । भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बना सकते हैं और देशद्रोही को देशभक्त नहीं बना सकते हैं, इसलिए अभी जैसा सत्यपाल सिंह जी ने कहा कि हमें कैरेक्टर एक्सीलेंस बचपन से डेवलप करना पड़ेगा ।

सर, कम्प्यूटर प्रणाली में छेड़छाड़ होती है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता है । आर्थिक प्रलोभन अथवा अन्य आशक्ति के कारण लोक सेवकों के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग होता है और परीक्षा केंद्रों का दुरुपयोग होता है । दूसरों को, परीक्षकों को प्रलुब्ध करके परीक्षा करना और फेवर हासिल करना, रिजल्ट प्रेपरेशन, टैबुलेशन और पब्लिकेशन में अनुचित पद्धति का अवलम्बन, सब्सिट्यूट एग्जाम की एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी के बदले में कोई और परीक्षा देता था । मैट्रिक परीक्षा में बी.ए. वाला देता था । उसको हमने पकड़ा था, उसके बाद वह भाग गया ।

सर, लिकेज ऑफ क्वैश्चन जैसे कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं । इस भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश को नुकसान होता है । मुझे तो कभी-कभी इसको देशद्रोह के समान मानने की इच्छा होती है । इससे संविधान का अपमान होता है । संविधान में सबको न्याय देने के लिए हमारे पूर्वजों ने वचन दिया है । यह सामाजिक न्याय है । इससे नैचुरल जस्टिस डिनाइड हो जाता है । इससे न्याय व्यवस्था का उल्लंघन होता है । योग्यता का लांछन होता है, अपमान होता है और सामर्थ्य का अपमान होता है । भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है । हमारे संविधान में जो इक्विल आपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्वीकार किया गया है, उसका उल्लंघन होता है । युवाओं को स्पाइनलेस बना दिया जाता है । प्रशासन को भ्रष्टाचार से कलंकित किया जाता है ।

महोदय, जो भ्रष्टाचार का प्रलोभन देकर, मनी पावर अथवा अन्य पावर से आया है, वह तो सत्ता का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा । This will start a vicious cycle. इसलिए एक कठोर कानून की आवश्यकता है ।

महोदय, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं । हमारे कर्ण का कितना अपमान हुआ । कर्ण की योग्यता होते हुए भी उसका अपमान हुआ था । ये भी एक माल-प्रैक्टिस है । कर्ण ने क्या बोला था

?दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्? ।

पौरुष अर्जन करना हमारे अधीन हैं । किस कुल में जन्म लूं, ये हमारे अधीन नहीं है । माल-प्रैक्टिस के कारण पौरुष प्रदर्शन में भी सबको समान मौका नहीं मिलता है ।

महोदय, हमारी पूर्व वैदिक सनातन परंपरा में जो परीक्षा पद्धति थी, उसमें कॉपी करने का अवसर नहीं था । ऑटोमेटिक योग्यता प्रदर्शन की व्यवस्था थी । अनुसंधान सत्यानुसंधानी मूल स्पिरिट थी । आज भी श्री अरबिंदो आश्रम ने परीक्षा को उठा दिया, क्योंकि कॉपी का चांस होता था । उन्होंने जीवंत पाठन पद्धति चालू की । भिन्न प्रकार की परीक्षा पद्धति के बारे भी सोचा जा सकता है ।

भारत का भविष्य निर्माण करने वाला, नए भारत का निर्माता हो । युवा शक्ति की पारदर्शिता, दक्षता, निपुणता, योग्यता आदि का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे कानून की बहुत आवश्यकता है । कठोर और दृष्टांतमूलक शास्ति विधान की जरूरत है । बिना शास्ति से यह नहीं होगा । जिस सांप के दांत नहीं होते हैं, उसको कोई नहीं मारता है । ये सब एक संगठित क्रिमिनल ग्रुप बनाकर काम करते हैं ।

महोदय, मान्यवर मोदी जी के शासन काल में एक से एक ऐतिहासिक कानून बनते हैं और ऐतिहासिक काम भी होते हैं । नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी बोलते थे ? ?Let us create history. Let others write it. We do not have any time to write history?. ये इतिहास निर्माण करने का एक कालखंड है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

महोदय, मैं मान्यवर प्रधानमंत्री जी और मान्यवर मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । हमको याद रखना पड़ेगा कि there are many shortcuts to certificates and degrees but there cannot be any shortcut to knowledge. आज इस व्यवस्था को कड़े से कड़े कानून के द्वारा सुनिश्चित करना ये हम सबका दायित्व है । आज मैं बहुत आनंद से अपने भाव व्यक्त करने के समय कहता हूं कि cutting across Party lines, बहुत सारे सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया है । ये राष्ट्र हित में है । इसलिए मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024, has brought different stages and ?unfair means? has been categorised under Clause 3 of the Bill.

What I intend to say is that all these categories are already covered by the Indian Penal Code and Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 also which has been passed but has not been implemented yet. Up till today, whenever and wherever this sort of activity is performed, criminal proceedings vis-à-vis civil proceedings are initiated against the perpetrator. I have consistently been saying for last few years that in our country there is no deficiency of laws to cover these criminal activities, but the problem is the implementation. The law is passed in this Parliament with the Parliament?s wisdom. But ultimately, it has to be implemented by the implementing agency. That is the greatest failure in our country today. Still, I am saying this. I am not objecting to anything, but still I am saying that all the activities are already covered.

Clause 15 of the Bill says, ?The provisions of the Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.? Therefore, existing laws are there. You are further categorizing it, making a sub-category, mini sub-

category, but in a broader sense, it all exists. The question is whether the Central Government has taken steps in respect of this maladministration whenever malpractices happened and whenever such offences were committed.

Sir, through you, I want to know this from the hon. Minister. For the last five or 10 years, in how many cases has this law been implemented by the Central Government, prosecution has been done, conviction has been made. These answers should be given. No one indulges in these types of activities, but the point remains that sometimes something is said which is very attractive. It goes well into the ears, but the question is, is it established? In our country today, unfortunately, we go by media trials. In any sensitive criminal case, media trial is there. Everybody is facing this, whether it is the Central Government whether it is a State Government, whether it is a Central Minister, whether it is a State Minister etc. They prove it before the case starts. Naturally, consequences have to follow. Public criticism is there like, ?this man is bad, that man is bad, this Minister is bad, that Minister is bad?. But I do not believe in that until it is proved and established in the court of law. Our country is going in that direction. All the Ministers are here. I will request the hon. Minister that whenever a criminal case is there, court is seized of the matter, public trials should be stopped. Anyone is made not only accused, but he is made a criminal instantly. Let us take a case. A Minister?s name is involved. Nobody knows whether it has been done by him or not. Public trial is there. A Minister?s relative is involved. It is immediately taken in that way in the media trial that this gentleman is a relative of that Minister. Therefore, the media trial ruins his career. I will request the hon. Ministers to please think about this also. Ultimately justice is not done. Justice has to be done in their cases. It should be seen whether he has really indulged in such malpractices or whether he has done anything or whether anyone has really done the criminal activities or not.

Sir, I was not here but I was told that someone has mentioned about the scam of West Bengal in appointment of teachers. I just tell you. Some allegations were there. All the cases will be seen in future. All the unsuccessful persons come. Unsuccessful persons come, lodge complaints against the successful persons. This is a scenario. After four years or five years, they are coming. In West Bengal also, some unsuccessful persons have come. One of the single Judges of the Kolkata High Court by a judgment terminated the services of 32,000 Primary Teachers and directed to start a fresh selection process. The matter went in appeal. The appeal court stayed the termination but directed to continue the selection process. The matter went to the Supreme Court. The Supreme Court set aside the entire order.

This happened all because of the media trial. There was no evidence. Nothing has been established. If you speak about a story of ?scam, scam, scam?, it has to be established in the court of law.

In another case, the same learned Judge terminated the services of 15,000 teachers and employees. They went up to the Supreme Court. The Supreme Court has set that aside because the principles of law have not been followed. Follow the principles of law. I am not saying that if any malpractice is there, no steps should be taken. Steps should be taken. But it should be in accordance with law, not because of someone?s saying. There must be a concrete proof. Before you reach to the conclusion that malpractices have been done, there must be an established fact, concrete evidence. It should not be done because of saying of someone. Today there is social media. Anybody can lodge any complaint against anyone. Steps have been taken on that basis. It cannot be done in this way. Therefore, what I am suggesting is this.

As far as Clause 3 is concerned, it is having two consequences. One is criminal consequences, another one is civil consequences. The moment it comes up that some malpractice has been done, 2500 students are there, 2500 students are scrapped. But all 2500 students have not done it. May be 100 people have done it or 150 people have done it. May be 200 people have done it. The problem in the country is this. Whichever is the investigating agency or the Inquiry Committee, without identifying those 150 or 200 persons, they are coming up with a report, etc., as if 2500 persons are involved in this. This is not justice. All students cannot be said to be dishonest. I am sorry, I do not agree to it. All persons cannot be said to be dishonest. Dishonest persons may be there; there may be one per cent or two per cent who are dishonest. Our young generation is brilliant. Our young generation is honest. Our young generation is sincere. Our young generation will develop our country. We believe and we are having a trust. But if there is one or there are two persons, segregate it, please. I do not find anywhere any such process, whether CBI comes, whether any investigating agency comes. I have a number of experiences. Whether it is in the Indian Railways or other places, only one report is coming. But segregation is not there. For someone committing a criminal activity, the rest should not suffer. The Central Government must look into that. Whoever is the agency, whoever is conducting it, please apply your mind. Look into the matter; segregate it. Please do not go on the basis of the media trial. A few Judges are there also nowadays in our country ? in the evening they are watching TV shows and in the morning they are reading newspapers ? who are

deciding the matter on that basis without adhering to the established principles of law.

Of course, the provisions are good. I would seek one clarification from the hon. Minister. Since you have said ?in addition to?, if impositions of penalty are different, let us assume here it is one year, and in that it is three years, then what will happen to that? Which law would be followed?

With these words, I extremely extend my thanks to the hon. Chairperson. Also, I have conveyed possibly whatever I had to say to the hon. Minister. I have just missed. Sorry for that. Please do not mind.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir.

With regard to this Bill, the intent and content seem to be good. Some amendments are required to be made and that can be done. There is an elaborate discussion on this Bill. I hope that the hon. Minister will include that kind of suggestions.

Hon. Chairperson, Sir, this is like a model Act. It is going to be a model Act. The States can have their discretion and there it can be improved. Various States have made separate laws in this regard. In Karnataka, there is a different law. I want to say that it seems to be good. What I am saying is that there is a need to examine the examination system, and ensuring the credibility is the need of the hour. It is a very important thing. We all know that during the examination season, lot of scandals happen. Reports come in a very painful manner. In my hand is a comprehensive survey conducted by *The Indian Express* with regard to leakage. It is a big document. I could not catch it within the time frame. This survey says about paper leaks in 15 States in 41 job recruitment examinations. It is a big leak. We can very well imagine how much havoc it will cause in the country.

Hon. Chairperson, Sir, this issue requires immediate attention. What are the solutions? Learned friends were saying that technology application will help to some extent but there are risks in some of these technologies. There is a risk part even in the Artificial Intelligence. We understand that. But in spite of all these things, in the examination centres, whether it is in universities or in any other public institutions, these kinds of improvements through technological application may help us to tide over the difficulties.

Now, I come to the university side. I had been the Education Minister in the State of Kerala. Sir, you were also very instrumental in making the system perfect. Sir, there are 1,100 universities, 50,000 affiliated colleges including 700 autonomous colleges and 40.15 million students. It is big thing. There are a lot of irregularities especially as mentioned in this Act like fraud, leakage, and corruption. It is a matter to be addressed very seriously. Examination reform is the only best way. Kerala be made a model. Instead of examination once in a year we make continuous evaluation. Learning everything from the textbooks and learning it by heart, and then sitting in the examination hall, are not the right way of doing that. It has to be comprehensively restructured. Learning by heart is an easy thing. But the talent has to be measured. Unfortunately, the system which is now working is that it is not student-centered, but it is textbook-centered and teacher-centered. Ability of students has not been considered. So, instead of this instructive type of an education, it should be constructive type of an education.

Now, the other thing is about autonomous college. Autonomous college was a bold initiative. Subject to correction, Tamil Nadu may be the first State in India which introduced examination in the autonomous colleges.

After that, I think Andhra Pradesh introduced it. Kerala comes as third or fourth State. They deserve some kind of liberty in formulating the courses and kind of things. But a supervision by the Government is required. From practical experience, we must encourage autonomous colleges. That will have very good impact on our educational system. At the same time, in order to ensure credibility, the Government must have a scrutiny over that. I am not saying that to tighten it. That is one thing.

Sir, I do not want to take much time. I have one other thing. What is happening here? Politics, of course, is there. As correctly mentioned by learned friend, some kind of fabricated story is there. But we have to convince ourselves that the system is working properly. This is an effort towards that. What I am suggesting is that a very healthy discussion has taken place in this House. Many academicians have participated in the discussion. I hope the hon. Minister will follow that and try to make adequate changes or modifications in this Bill itself. I hope that this is an eye opener as far as the credibility of the system is concerned. I hope the Government will make various changes.

I have one more thing to mention in the end. When we are planning reforms, even in the case of examination or whatever it may be, it should be done in a speedy manner.

This is the time for internationalisation of education. We have to be on the fast track. If we go slow, we will be sidelined. If we want to change things, we must travel on the fast track. We hope that the Government will keep this also in mind and make adequate modifications.

With these few words, I conclude.

Thank you very much.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Thank you Sir for allowing me to speak on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

Sir, I stand in support of the Bill. I congratulate hon. Minister Dr. Jitendra Singh for bringing this Bill and it tells us that rights step are taken for a grave problem that has of late assumed immense proportions.

Sir, this is a timely step taken in the right direction. Hon. Minister said that this is the second important piece of legislation after Women?s Reservation Act. That law provides reservation for women in the Legislatures. But my personal view is that this is much more important than that because that delays the implementation. We do not know after a decade or so the benefits may reach the target group but here, it is instant and we know that the provisions of this Bill will be applicable immediately after the Rules are framed and I expect the Rules will be framed immediately after the Bill is passed.

Sir, the Statement of Objects and Reasons states that it is to enhance the transparency in the examinations for recruitment and also admission to higher education institutions. The problem does not only plague in the recruitment process but also the process of admission to higher educational institutions.

Sir, the Bill is well drafted. I have gone through the definitions clause. The definition of unfair means is inclusive and the Bill is expected to have the results that are intended. We should not stop with this Bill. I believe that the recruitment process and admission is a holistic approach.

Having transparency in the exam is not the end game. We should take steps to provide a level playing field across the country. The Bill encourages the States to

have a similar legislation in the States. But the effort should be to have a level playing field. What can be done to achieve that level playing field?

For someone, who does not have the level playing field, transparency in examination and recruitment processes does not mean anything because he has to compete with someone who has his ambitious vision and who belongs to different strata of the society. I do not know what steps would be taken but I expect that the hon. Minister will have his attention towards providing level playing field.

We should try to integrate ICT tools. ICT tools are more objective, very fair and raise less suspicion in the process. I think we should try to have the ICT tools integrated with the recruitment processes.

A problem which was highlighted by one of the hon. Members is that cancellation of examination should not push the candidates into a period of uncertainty. There should be a statutory period for having the examination conducted once more. It may be two months, depending on as to how we can organise the logistics etc., but it should be statutorily fixed. We should not leave it to the individual authority or individual commission or individual body to fix the date for examination. It should be statutorily fixed so that we have that examination.

We know that cancellation results in delays and it creates bitterness amongst the unemployed youth. So, it should be conducted in a timeframe so that they need not wait endlessly and they have an opportunity.

Secondly, after this whole exercise, we should statutorily also provide a waiting list. I have been approached by some candidates who met me in Jammu. They said that the local administration has done away with this system of waiting list. People are hopping from one place to another for jobs. For example, there are 108 posts and someone?s rank is 109th. There should be a waiting list of the selected candidates. So, we should have the period for the waitlist to be operated statutorily. Thank you very much.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for giving me a chance to take part in the discussion on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024. According to me, it is a very important Bill.

My first suggestion to the hon. Minister is to kindly send this Bill to the Parliamentary Standing Committee for close scrutiny. The Bill is against the basic principle of criminal jurisprudence. As rightly pointed out by my learned friend just

now, there is no substantive law for the conduct of public examinations. You are bringing a substantive law to address the issue, which I fully support.

If you go through the Bill, the drafting of the Bill, the content of the Bill, it can very well be seen that this is against the principle of criminal jurisprudence. I will explain it one by one. What is the intention of the Bill? I fully agree with the intention of the Bill. There is no bad intention on the part of the Government in bringing such a punitive Bill which provides for more punishment, grave punishment for malpractices done in the public examinations.

Transparency in examination for recruitment as well as admission to higher educational institutions is highly essential. It is the need of the hour. Yes, at present, there is no specific substantive law to deal with the unfair means or offences conducted by the various public examination agencies. So, there are 20 offences and unfair means which have been identified in this Bill.

16.00 hrs

It is including imprisonment, manipulation of answer-sheet, and also tempering with the documents. All these things will come within the purview of Indian Penal Code. Specific offences are there in the Indian Penal Code but you are coming with a substantive law. There is no problem with that. But, if you see the quantum of punishment being provided in the Bill, it is disproportionate. That is my first objection. It is because there is imprisonment of three to five years, which you have mentioned, for each and every unfair means. If any unfair means is adopted, the punishment is three to five years in case of an individual and it will be upto five to ten years if it is an organised crime. There lies the quantum of punishment. The meaning of ?unfair means? is explained in Clause 3. Kindly go through Sub-Clause 8 and Sub-Clause 12 of Clause 3: ?Wilful violation of norms or standards set up by the Central Government or conduct of an examination on its own through its agency.? What are the norms to be stipulated if there is any violation of any norms? He will be given a punishment for three to five years. In that case, any official can be targeted. The basic deviation from the violation of the norms is that the quantum of punishment will be three to five years along with fine upto Rs. 10 lakh. If it is an organised crime, it will go upto Rs. 1 crore and the imprisonment will be upto five to ten years.

16.01 hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

Similarly, if you go through Sub-Clause 12 of Clause 3, there is ?manipulation in sitting arrangements?. The definitions are very exhaustive. It can be interpreted in any way. If you are preparing in the sitting arrangements of the students along with allocation of dates or shift of the candidates to facilitate adopting unfair means in examination, then also this quantum of punishment is too much. That is why, I am requesting the hon. Minister to have a close and legal scrutiny of this Bill so as to have a proper criminal jurisprudence. Suppose a student is just copying or murmuring with neighbouring student, the punishment is too much. This is totally disproportionate. That is why, I am raising my objection here.

As far as the legal drafting of this Bill is concerned, kindly go through Clause 8, Sub-Clause 3, the Proviso. It states that:

?Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.?

Madam, it is the basic criminal jurisprudence. If he proves that without his knowledge this act was done and he has applied his mind in due diligence, why should this proviso be there after putting the punishment? The same thing is being repeated in Sub-Clause 4 of Clause 10. It says:

?Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.?

What does it indicate? It means, if he proves that he is innocent, nothing will be applicable. Why is this proviso being incorporated in such a very important Bill? I have given ten amendments in this respect also? Kindly go through these amendments. Most of them are harmless amendments. That has to be looked into. That is why, I am once again requesting the hon. Minister. Due to paucity of time, I am not going to explain all these things like ?unfair means?. Please go through Clause 3. According to almost all the provisions, if you are directly or indirectly assisting the candidate in any manner, unauthorisedly, in the public examination, then, you will be punished with imprisonment of three to five years. So, this is the way by which the ?definitions? and ?unfair means? are being described. This ? definition? and the ?unfair means? are very exhaustive and it can be interpreted in

any manner. That has to be relooked into. I am not doubting the intention of the Government to address this issue but, at the same time, these reservations have to be looked into with a close scrutiny.

With these words, I conclude. Thank you very much.

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Thank you very much, Madam Chairperson, for allowing me to speak on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

महोदया, इस देश में एक बहुत बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए यह बिल आया है । मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी नीयत से यह बिल आया है । आये दिन हम देख रहे हैं कि देश भर में विभिन्न राज्यों में जिस तरीके का नकल माफिया एक्टिव है और मुझे यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि कहीं न कहीं वह राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नकल माफिया है, जो देश के अंदर यह काम कर रहा है । मैं राजनीतिक संरक्षण इसलिए कह रहा हूँ, राजनीतिक संरक्षण तो वह माफिया चलाता ही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारें भी उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वे इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती हैं । जो नौजवान हैं, छात्र हैं, वे साल-साल, दो-दो साल पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद वे परीक्षा में बैठते हैं, पता चलता है कि कहीं से पेपर लीक हो गया, पूरी की पूरी परीक्षा रद्द हो गई और फिर उस परीक्षा की कोई डेट नहीं आती कि कब दोबारा वह परीक्षा होगी ।

महोदया, हजारों की संख्या में नौजवानों ने खुदकुशी की है, जिन्होंने अपने पूरे कई-कई वर्ष तैयारी में लगा दिए, लेकिन वह परीक्षा ही नहीं हो पाई । मेरा यह भी कहना है कि जो यह बिल है, जैसा माननीय प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि वाकई कहीं ऐसा न हो कि जो इसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं कि अगर कोई बच्चा अपने आपसे देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, पता चला कि उस स्कूल, कॉलेज के प्रिंसिपल/डायरेक्टर को प्रॉसिक्यूट किया जा सके । यह बिल दुधारी तलवार भी साबित न हो कि आने वाले वक्त में जो भी सरकारें रहें, वे फिर उन स्कूल्स, कॉलेजेज पर, उन इंस्टीट्यूशंस पर इतना दबाव न बनाएं कि वे उनका मिसयूज कर सकें ।

महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बिल की बहुत जरूरत है । आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में तो खास तौर से क्या हाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पिछले वर्ष नकल कराते हुए एक अखबार के रिपोर्टर ने एक्सपोजर कर दिया तो पता चला कि उसी को उठाकर जेल भेज दिया गया । जो माफिया है, वह इतना स्ट्रांग है कि उनकी करतूतों को अगर कोई एक्सपोज करता है, तो वह उनके खिलाफ, जो एक्सपोज करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, उन पर कार्रवाई कराते हैं, उनको जेलों में भिजवाने का काम करते हैं ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहूँगा कि यह वाकई अच्छा बिल है, लेकिन इसमें कुछ जो क्लॉजेज हैं, अगर वाकई इसमें और डेलिबरेशन किया जाए, आप इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, तो और अच्छा रहेगा । एक काम्प्रिहैंसिव अच्छा बिल आये, जिससे नकल माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके । नौजवान वर्षों-वर्ष तक अपनी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, लेकिन आखिर में उनको निराशा हाथ लगती है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Thank you very much, hon. Madam Chairperson, for giving me this opportunity. For a change, a Bill has been brought in to get the appreciation of the Opposition Parties also. I have been watching the

deliberations going on here. Almost all the Members, who spoke ahead of me, have appreciated this Bill. We should appreciate the hon. Minister, Dr. Jitendra Singh ji, for this.

Madam, at the same time, I would record my personal views by saying that you are very late in doing this. We are all aware as to what is happening in various parts of the country. Some of the Members have also mentioned about what the size of the scam is, how many States have suffered due to this, and how many young lads have sacrificed their opportunities because of some scamsters coming in.

If you see the types of scams, it is largely the outsiders coming in and doing it. Rarely, the students or the candidates, who are taking up the examinations, are involved in this. They get into the system and spoil it to earn money in a quick and fraudulent way. I once again appreciate that you have realised the seriousness of this and brought this Bill.

At the same time, I join with our learned Member, Mr. N.K. Premachandran ji who has pointed out quite a few changes which I feel are quite legitimate to have. I have also seen some lacks and lacunae in this Bill. One of them is that it does not provide a straightaway solution. Suppose, if an examination is cancelled because of a scam, that batch of students have to wait for a very long period.

They have no way to move on. They studied for this tough examination for six or seven months. But now they have to indefinitely wait for the Government to come up with a new set of examination for them. Therefore, I feel that there should be an option which should be acceptable to the students? community or the students who are appearing for a particular examination.

Another thing is with regard to the accountability of the officers of the agencies which conduct an exam. I have seen it to an extent possible. I would not say that I have gone through it very thoroughly. Here again, there is nothing mentioned about the people at the helm of affairs, who are responsible for it. Most of the large-scale scams in this regard have happened with the involvement of the highest people sitting in the affairs of those matters. Therefore, I plead that the involvement of those people who are sitting at the higher level should be investigated and an appropriate solution should be found out. This is one of my suggestions.

Madam, what I have been watching in this House is that normally whenever the Government brings in a law, they always try to bind the State Governments. Take

up any law whether it is an agricultural law or CAA or any kind of law ? plenty of laws have been passed in this House ? you have always tied up the State Governments. I do not understand why you have taken a different route by not involving the State Governments and not binding them in this law. So, this is another point that I wanted to bring to your notice.

Then, there is a point with regard to the unfair practices. One of my colleagues has just spoken about it. Why do these unfair practices take place? Who is responsible for this? We should find out the reasons in order to curb such practices. These reasons are rooted in our educational system itself. The students who have not prepared well, look for an escape route.

So, we should provide better education to students and inculcate discipline in them from the primary level itself. I am myself an example in this regard. It never came to my mind to adopt any unfair practice in the exams. I would disclose this that I could not pass some of my exams. But I never adopted wrong methods. I only appeared in the exams when I was fully prepared. If I knew that I would not pass in a particular exam, I preferred to stay out rather than getting into any shortcut method. Such kinds of good habits and ethics should be inculcated in the younger generation from the primary school education itself.

In this regard, I would like to mention that our hon. Chief Minister, Mr. Stalin is moving step by step in the direction of welfare of the students. One of the cornerstones he has laid is the introduction of breakfast system for all the elementary school children from class-1 to class-5 in about 31,000 schools. This is done by the State Government of Tamil Nadu for the first time in the country. So, about 17 lakh children are taking breakfast under this scheme because without breakfast many children could not go to school and stayed at home. The attendance in the school was coming down. To see that the students at the primary level itself should be educated in the State and in the country, this breakfast system has been introduced. This is only one of the many programmes that have been launched in the education sector by our Government.

Madam, there are several educationists, intelligent people and academicians in the country. I would urge that the Government should consult with them before piloting the Bill in the House. Thank you very much.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती **(**सीकर**):** सभापति महोदया, धन्यवाद । आज मुझे लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है ।

महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जितेन्द्र जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा । बहुत लम्बे अर्से के बाद इस प्रकार का कोई बिल आया है । वर्ष 1944 में इस प्रकार का कोई बिल आया होगा । उसके बाद परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए अगर कोई बिल आया है तो यह बहुत लम्बे समय के बाद आया है । यह 80 सालों के बाद आया है ।

महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ऐसा एक अहसास भी हुआ है कि यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था । इसका कारण है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, राजस्थान से, तो लगभग सभी वक्ताओं ने राजस्थान की चर्चा की है । लगातार पाँच सालों के अन्दर 17 पेपर लीक हुए । मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, सीकर से, तो कोटा के बाद यदि कोई एजुकेशन हब है, तो वह सीकर है जहां दो लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं । स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के साथ-साथ बड़े-बड़े कोचिंग सेन्टर्स हैं । एक-एक कोचिंग सेन्टर के पास 40-50 हजार विद्यार्थी हैं । माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा, कई साथियों ने यह शंका व्यक्त की थी कि इस बिल में कहीं किसी विद्यार्थी को तो हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अंदर बैठकर विद्यार्थी क्या नकल कर सकता है? समस्या इस बात की थी कि विद्यार्थियों की ओट में इस प्रकार की संस्थाएं थीं, जो नियोजित तरीके से नकल करवाती थीं । इसलिए राजस्थान में एस.आई.टी. का गठन करना पड़ा । उसमें 20 से अधिक लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं । इसकी एक लम्बी श्रृंखला है । इसमें एक से दूसरे के तार जुड़े हुए हैं कि किसने पेपर को लीक करवाया, किसने कहां पहुंचाया, किसने कहां जोड़ा । इस प्रकार का यह एक सिलसिला बन गया है । इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, मैं देखता हूं कि बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षार्थी मेहनत करते हैं । उनका गरीब बाप मेहनत करता है और अपने बच्चों को पैसे देकर पढ़ाता है ।

हमारे यहां एक बच्चे ने सुसाइड किया । वह बच्चा नोट लिखकर गया कि मेरे पिता ने मजदूरी करके मुझे दो साल पढ़ाया, जमीन पर लोन लेकर पढ़ाया, लेकिन मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो मुझे सूचना मिली कि पेपर आउट हो गया है । वह हमारे हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील का एक छात्र था । उस छात्र ने सुसाइड नोट में यह बात लिखी । इस प्रकार के कितने सारे अपराध होते थे ।

महोदया, इसमें एक कारण और था, मैं यह आपसे निवेदन करता हूं । इसमें न केवल मात्र नकल की बात है, बल्कि इसमें योग्य व्यक्ति रह जाते थे और अयोग्य का चयन हो जाता था । उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता था । आप प्रशासनिक सेवा को देख लीजिए । अगर प्रशासनिक सेवा में कोई अयोग्य व्यक्ति जाएगा तो वह न्याय नहीं कर सकता । अगर कोई कॉलेज लेक्चरर है, किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, अगर वहां कोई अयोग्य व्यक्ति जाएगा तो वह क्या पढ़ाएगा? अयोग्य व्यक्ति के सेलेक्शन होने का नुकसान यह होगा कि इससे देश को भी नुकसान होगा । देश को जिस प्रतिभा की आवश्यकता थी, जिस अच्छे, योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, वह वहां नहीं पहुंच पाया । दूसरा कारण कि योग्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ । वह पीड़ित हुआ है, तो उसकी पीड़ा को दूर करने का कोई साधन नहीं था । तीसरा कारण, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था । इससे यह होगा कि जो योग्य व्यक्ति है, जिसने मेहनत की है, जिसने पुरुषार्थ किया है, उसे न्याय मिलेगा और जो उसका हक़दार था, उसे वहां पर पहुंचने का जो हक़ मिलना चाहिए था, वह हक़ उसे मिलेगा ।

साथ में कई साथियों ने कहा है कि इसमें दंड का प्रावधान अधिक है । हमारे यहां तो शास्त्र स्पष्ट कहता है कि दंडम् शास्यिति राज्यम्, यानी भय बिन होइ न प्रीति जग माही, बिना दंड के कभी शासन नहीं चलता है । दंड के भय से ही व्यक्ति अनुशासित होता है और अनुशासन के बिना कभी भी व्यवस्था बन नहीं सकती है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था का प्रयास किया जाए कि राज्यों को भी इस ओर प्रेरित किया जाए,

क्योंकि जो मूल है वह राज्यों के अंदर है । केंद्र में तो जितनी भी परीक्षाएं हैं, यहां माननीय मंत्री जी ने इस बिल में ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स को दर्शाया है कि इन एग्ज़ाम्स के अंदर हम यह प्रयास करेंगे । जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है, रेलवे बोर्ड है, बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण है, साथ ही अन्य ऐसे प्राधिकरण हैं, जो एग्ज़ाम लेते हैं, ये सेंटर के प्राधिकरण हैं । लेकिन राज्य के अंदर जो स्थिति है, अभी राजस्थान के अंदर एसआईटी का गठन किया गया और वहां की सरकार ने कहा कि हम भी इस प्रकार का बिल ले कर के आएंगे । मैं तो सभी राज्यों की सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां भी इस प्रकार के बिल आने चाहिए, ताकि यह जो नकल का धंधा चल रहा है और इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे समाप्त किया जाए और योग्य व्यक्तियों का चयन हो ।

बहुत सारी बातें अन्य माननीय सदस्यों ने कही हैं, लीगल बातें भी कई लोगों ने कही हैं, अन्य प्रकार की शंकाओं को भी व्यक्त किया गया है, जिनका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे । मैं तो माननीय प्रधान मंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का पुन: धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक अच्छा बिल ले कर आए हैं और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी तो मेरे क्षेत्र में जो दो लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको होगी कि आज भारत सरकार ने हमारे बारे में सोचा है, हमारे भविष्य के बारे में सोचा है । प्रधान मंत्री जी का जो स्वप्न है कि वर्ष 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, वह तभी अच्छा भारत बन पाएगा, जब योग्य व्यक्ति वहां पहुंचेगे और वे तभी पहुंच पाएंगे, जब निष्पक्ष दृष्टिकोण से परीक्षाएं होंगी, ठीक व्यवस्थाएं होंगी, अनुचित संसाधनों को रोका जाएगा । धन्यवाद ।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : मैडम, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ । इस बिल की अति आवश्यकता थी, जो आज सरकार ले कर आई है । मैं समझता हूँ कि इसका ऐम और ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐबल स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले । नकल माफिया इस कदर एक्टिव हैं कि बकायदा कॉलेजेस के ठेके होते हैं । प्रति स्टूडेंट दस हज़ार रुपये लिया जाता है, पास कराने का ठेका होता है । नकल माफिया सीढ़ी लगा कर, खिड़की से नकल की पर्ची पहुंचाते हैं और उस कैंडिडेट की सीट भी खिड़की के पास होती है । मैं समझता हूँ कि इस बिल के आने के बाद इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगेगी ।

मैडम, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आपका जो ऐम है कि अच्छे स्टूडेंट को इंसाफ मिले, एक पूरी फील्ड हम इसमें भूल रहे हैं, हमने कॉलेजेस के अंदर ये शिकायतें बहुत देखी हैं कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट से नाराज़ हो गया, भले ही वह कितना ही मैरिटोरियस हो, वह फेल हो जाता है । मैनेजमेंट नाराज़ हो गया तो वह स्टूडेंट फेल हो जाता है । वायवा जैसी चीज़ जिस पर कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता है, वायवा के लिए भी मेरी यह मांग है कि उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए । अगर किसी को फेल करना होता है तो एग्ज़ामिनर उससे अपने बाप का नाम पूछता है और अगर पास करना होता है तो उसी के बाप का नाम पूछता है । यह बड़ा विचित्र मामला है । अगर इस पर भी हमारे मंत्री जी ध्यान दें कि अदर मींस कौन-कौन से हैं, जो अनफेयर हैं, तो शायद मैरिटोरियस स्टूडेंट्स को पूरा इंसाफ मिलेगा ।

मैं अपनी इसी बात के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि इस बिल की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, जिसको आज आप ले कर आए हैं ।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद) : मैडम, आपने मुझे ?दि पब्लिक एग्ज़ामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) बिल, 2024? पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ ।

मैडम, सरकार देर आई, लेकिन दुरुस्त आई । अगर यह बिल आज से पांच साल पहले आ गया होता तो एक करोड़ 40 लाख बच्चे, जो महज़ एक लाख 4 हज़ार सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, दिन-रात मेहनत करे, पढ़ाई करे, एग्ज़ामिनेशन के अंदर बैठे, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया था ।

बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया था । उसके बाद एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया । कई बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बैठ नहीं पाए, क्योंकि उससे पहले ही पेपर लीक हो गया । अगर पाँच साल पहले यह बिल आ जाता तो इन्हें इतना खामियाज़ा नहीं भुगतना पड़ा होता । सवाल यह है कि एक करोड़ चालीस लाख बच्चे हैं और नौकरियाँ कितनी हैं ? एक लाख चार हजार । अगर ये पूरे के पूरे चले भी जाते तो एक करोड़ 39 लाख बच्चे तब भी बेरोजगार रहते । आप इस बिल के जरिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़, ऑर्गनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, यूपीएससी, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, उनको इस बिल के दायरे के अंदर लेकर आए हैं । हमारी यह मांग है कि राज्य सरकार के जो प्रमुख एग्जामिनेशंस होते हैं, उनको भी इस बिल के दायरे के अंदर इसलिए लाना जरूरी हो गया है कि कई राज्य सरकारों के नेता और कई राज्य सरकार द्वारा ही पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, इसलिए इस बिल के अंदर उनको भी लाना जरूरी है । यह जो बिल लाया गया है, इसमें हम मंत्री जी से यह पूछना चाहेंगे कि theft, extortion, robbery and destruction of question papers के लिए सजा का क्या प्रावधान रखा है, तो बताया गया है कि ?No specific provision?.

दूसरा यह है कि डिबार्मेंट फॉर एग्जामिनेशन के लिए सजा का क्या प्रावधान है, तो बताया गया कि ?No specific provision?. तीसरा विषय यह है कि cheating or use of unfair means by an examinee, जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है और वह कोई बेईमानी करता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, तो बताया गया कि ?No specific provision?. हम मंत्री जी से यह पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या-क्या स्पेसिफिक प्रोविजन्स हैं । माननीय मंत्री जी इस बारे में जरूर बताएं।

मंत्री जी जब इस बिल को पेश कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि आपके जो विरोधी राज्य हैं, उनके बारे में ही आप जिक्र करेंगे । आपने राजस्थान का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, लेकिन आपके राज्यों के अंदर जो बेईमानी हो रही है, क्या उसका जिक्र आप नहीं करेंगे? मैं महाराष्ट्र से आता हूं । महाराष्ट्र के अंदर कितनी बेईमानियाँ हुई हैं । टीईटी के एग्जामिनेशन में क्या होता है?

महोदया, टीईटी का एग्जामिनेशन होता है कि जो टीचर बनना चाहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर एक घोटाला हुआ और उसमें एक-एक टीचर से चार-चार लाख रुपये लिये गये । पुलिस का कहना है कि 240 करोड़ रुपये का घोटाला है । शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर चुका है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टीचर बन रहे हैं, वे पैसा देकर टीचर बनना चाहते हैं । महाराष्ट्र के अंदर पिछले दो-तीन सालों के अंदर कौन-कौन से घोटाले हुए हैं ? टीईटी एग्जाम घोटाला, भाडा एग्जाम घोटाला, महाज्योति एग्जाम पेपर लीक, तलाठी भर्ती घोटाला, मुम्बई पुलिस भर्ती घोटाला, हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जाम घोटाला, अगर और पढ़ूं तो बहुत सारी लिस्ट हैं । यह आपको नजर नहीं आ रहा है । मेरा यह कहना है कि जहां-जहां पर भी ये घोटाले हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ।

मंत्री जी, दूसरी बात यह है कि जो बच्चे एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, ग्रामीण इलाके के बच्चे केंद्र और राज्य सरकार के छह-छह एग्जामिनेशंस में बैठते हैं, आप उनसे एग्जामिनेशन अप्लीकेशन का फीस लेते हैं । इनकी फीस क्यों नहीं माफ की जा रही है? एक तो आप नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं और दूसरा जो बच्चे छह-छह एग्जामिनेशंस के अंदर बैठ रहे हैं, उनसे आप पैसा ले रहे हैं ।? (व्यवधान)

सभापति महोदया, हमारे देश के नौजवान बच्चे आज सदन की तरफ नजर लगाए हुए हैं । अभी तेलंगाना के अंदर ग्रुप-1 प्रिलिमनेरी एग्जामिनेशन में पहली जुलाई को घोटाला हुआ । उसको कैंसिल कर दिया गया । फिर वह तीन महीने के बाद होने वाला था, लेकिन फिर घोटाला सामने आया, उसे भी कैंसिल कर दिया गया । फिर बाद में कहा गया कि अब एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन आ गया । मेरा यह कहना है कि बच्चों के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ता होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं । मंत्री जी यहाँ से उठ कर चले गए हैं । उन्हें उर्दू अच्छी तरह से आती है । मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि आज पढ़े-लिखे बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि पढ़ो फारसी और बेचो तेल, यह उनकी हालत हो गई है । हाइली क्वालीफाइड बच्चे आज क्लर्क, चपरासी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं । अभी महाराष्ट्र सरकार के एक डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हुआ है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आपका समय हो गया है ।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील **:** मैडम, प्लीज मुझे एक मिनट का समय दीजिए । 64 पोस्ट के लिए 9 हजार बच्चों ने अप्लीकेशन दिये हैं । मैं तेलंगाना के जिस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, उसमें 500 पोस्ट्स हैं, लेकिन साढ़े तीन लाख बच्चों ने अप्लाई किया है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं । मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं । आंकड़े आपके ही हैं । आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को क्लीयर कर दिया है, लेकिन नौकरियाँ कितनी हैं, यह बताइए । वर्ष 2022 में इसी लोक सभा के अंदर रिटेन रिप्लाई में यह बताया गया था: ?The rush for Government jobs continued unabated over the last eight years, but less than one per cent of applications received were selected.?

मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 8 सालों का जो आंकड़ा है, 22 करोड़ नौजवानों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया । उनमें से महज 7 लाख 22 हजार बच्चों को सरकारी नौकरियां मिलीं । 22 करोड़ कहां पर है और 7 लाख कहां पर है? इसके बावजूद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ।

मैडम, कल हमने प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना । वे दो घंटे तक बोलते रहे कि कितना अच्छा काम किया है, हमने मंदिर बना दिया, हमने यह बना दिया, आप अपनी पीठ थपथपाते रहे । मोदी जी की गारंटी है करके जब उन्होंने कहा तो आप सभी ने तालियां बजाईं, बेंच को बजा-बजाकर अपने हाथ दुखा दिए । क्या मोदी जी की गारंटी इस देश के नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं होनी चाहिए?? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **(**सारण**) :** सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । अब पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है । कल माननीय प्रधान मंत्री जी का दो घंटे का भाषण था । हम सब उस भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहे थे । एक के बाद एक पिछली घटनायें, कई चीजें जो 60-70 वर्षों में हुईं, किस प्रकार से सुधार का वातावरण बना, किस प्रकार से हर क्षेत्र में पिछले 10 सालों में हमने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में काम पूरे किए, आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि हम कहां-कहां बढ़े और कैसे-कैसे बढ़े । इस एरा के सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट के रूप में, एरा के सबसे बड़े नेता के रूप में हम सब लोगों ने थपथपी बजाकर उनका स्वागत किया । जो उनका अंतिम बयान था, शायद हमारे विपक्ष के लोग उस बात को सुनने से थोड़ा परहेज करते थे, उन्होंने कहा कि आज भी हम तैयार हैं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो । आने वाली पीढ़ी के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे । उनका एक और वाक्य कि तुम चाहे जितने पत्थर हम पर चलाओ, उन सभी पत्थरों को भारत के नवनिर्माण में, उसकी नींव में हम इस्तेमाल करेंगे । आज एक ऐसा विधेयक लाया गया है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए है । मुझे

लगता है कि माननीय प्रधान मंत्री जी किसी भी संदर्भ को देखते हैं, किसी भी समाचार को पढ़ते हैं, उनके जीवन का जो भाग रहा है, उसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं एक रास्ता निकालकर आते हैं । दूरगामी नेतृत्व उसी को कहते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता निकालता है ।

आखिर हमें यह कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर नीतिगत तौर से देखा जाए तो आखिर हम विफल कहां हुए कि परीक्षा में और बहालियों में कड़ाई का प्रावधान हम लोगों को करना पड़ा? क्या मुझे नहीं कहना चाहिए? माननीय प्रधान मंत्री जी इन सभी विषयों के बारे में इंगित करते हैं। शायद आप सब लोगों को याद होगा कि पहले बहाली की प्रक्रिया क्या होती थी । बहाली की प्रक्रिया होती थी कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो आपकी परीक्षा का परिणाम होता था, उस पर सीधे सरकारी नौकरी में दाखिला हो जाता था । उस समय कोई चुनौती नहीं होती थी । मैं नहीं कहना चाहता हूं कि देश में कई सरकारें रही हैं और मूलत: कांग्रेस की सरकार बड़ी लंबी अवधि तक रही है । पिछले साठ वर्षों में अब परीक्षा के परिणामों से नौकरी का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है । भ्रष्टाचार इस प्रकार से उसमें प्रवेश कर गया, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी गिरावट ऐसी थी कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा में उन सब शैक्षणिक संस्थानों में मार्क्स लेने की होड़ हुई और उसकी व्यवस्था टूट गई कि सभी राज्यों को और देश की सरकार को अलग-अलग परीक्षा करने के लिए मजबूरी पैदा हो गई । पहले तो कभी नहीं होता था कि नौकरी के लिए परीक्षा हो, लेकिन अब उसकी परम्परा शुरू हो गई । पिछले 60-70 वर्षों में हम देख रहे हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आज तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई । क्यों ऐसा होता है कि देश की परीक्षा, जहां सारे यूपीएससी से आईएएस, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज़ के लोग आते हैं, वहां यह घटना नहीं घटती है? ऐसा क्या है कि वहीं इस भारत के लोग जो इस बात को संचालित करते हैं, वहां यह घटना नहीं होती है और बाकी राज्यों में होती है? माननीय प्रधान मंत्री जी ने विश्लेषण कराया ही होगा। यह एक ऐसा विषय है, जो मैं किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन पिछले पांच वर्षों का विश्लेषण किया जाए, मैंने 15 राज्यों का विश्लेषण किया । जिसमें डेढ़ करोड़ लोग शामिल हुए और 41 परीक्षाओं में धांधली हुई या बहाली में धांधली हुई । झारखंड के हमारे माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा । डेढ़ करोड़ परीक्षार्थी इस देश में प्रभावित हुए । 15 राज्यों में लगभग 41 स्थानों पर इस प्रकार की अवैध या गलत बहाली की प्रक्रिया हुई । उसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, पुलिस की बहाली थी, फॉरेस्टर्स की बहाली थी, इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट थी । मैं यह नहीं कहूंगा कि किस राज्य में कम हुआ या कहीं ज्यादा हुआ ।

लेकिन यहां कुछ राज्यों का उल्लेख करना जरूरी है । पिछले पांच वर्षों में जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । राजस्थान में पिछले पांच वर्षों के भीतर 7 इम्तिहान हुए, 41 हजार पोस्ट थीं और 38 लाख अभ्यार्थी उनमें भर्ती होने के लिए आए । अहलुवालिया साहब बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री अभी जेल में हैं । 38 लाख एस्पिरेंट्स थे, उसे कैंसिल करना पड़ा । मध्य प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में 4 हजार पोस्ट्स की वैकेन्सीज थी, इसके लिए 1 लाख 64 हजार कैन्डिडेट्स थे, उसे कैंसिल करना पड़ा । तेलंगाना में पांच इम्तिहान हुए, जिनमें 3770 पद थे, इसके लिए 7 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, उसे कैंसिल करना पड़ा । बिहार में 3 परीक्षाओं को कैंसिल करना पड़ा, जिनमें 24 हजार पोस्ट्स थीं, 23 लाख अभ्यर्थी थे ।

सभापति महोदया, वैसे आप भी बिहार से आती हैं । हमारे यहां बिहार में क्या है? हमारे यहां फैक्ट्री नहीं है । पिछले 30-40 साल में जो परिस्थिति रही, हमारे यहां बच्चे रोजगार को ही फैक्ट्री मानते हैं । बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते तो पढ़ाई करके सरकारी नौकरी कर लेते हैं, वही रोजगार है । बिहारी पूरा भारत चलाता है, बिहार ही पूरा भारत चलाता है ।

अब क्या करे बेचारा । न फैक्ट्री लगा । लेकिन अब हम लोग सुधारेंगे, हम लोगों की नयी सरकार फिर से बनी है, फिर गति से लगाएंगे । बिहारियों के साथ संकट है, झारखंड के साथ भी वही संकट है । आप हमसे अलग होकर चले गए, हम लोग कभी साथ में विधायक थे । इन सभी राज्यों में जब रोजगार नहीं है तो सरकारी रोजगार ही मेरे लिए इंडस्ट्री है क्योंकि हम वहीं से नौकरी पाएंगे, आईएएस की नौकरी पाएं या बीपीएससी का नौकरी पाएं, हम नौकरी लेंगे । जब नौकरी मिल जाएगी तो सरकार का घर मिलेगा, हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा । कुछ लोग उद्योग लगाकर पूंजी कमाते हैं, हम बिहार के लोग नौकरी लेकर अपने जीवन स्तर को ऊपर करते हैं, यह भी एक फार्मूला है । चार करोड़ लोग बिहार से अलग होकर झारखंड चले गए, उनके लिए भी लड़ाई लड़नी है ।

हर तरह की चीजें होती हैं, कहीं परीक्षा हो रही थी । बिहार बीपीएससी की परीक्षा थी । दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमको अपने राज्य को ही कोट करना पड़ता है क्योंकि बिहार सब चीज में आगे है । बिहार हर चीज में आगे है तो इन सब चीजों में भी हम आगे पहुंच जाते हैं । ऐप पर तुरंत क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, व्हाटसऐप पर देखा तो पेपर आ गया था । उन बच्चों को जिनको मोबाइल फोन की अनुमति दी गई थी, अलग कमरे में बैठाया गया था, मामला बिगड़ गया तो पकड़े गए ।

इसका कासकेडिंग इफेक्ट क्या होता है? तेलंगाना में 2020 में परीक्षा हुई थी, कैंसिल होकर फिर से परीक्षा हुई, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया । लगभग डेढ़ लाख बच्चे उसके इंतजार में हैं । कहने का मतलब है कि उन बच्चों का क्या कसूर है? जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ कर आते हैं, उनका क्या कसूर है कि इस प्रकार की स्थिति है? यह वह मामला है, जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई, जो मामला प्रकाश में आ गया और वे पकड़े गए । देश के प्रधानमंत्री क्या-क्या सोचते रहते हैं, कैसी-कैसी कल्पना को लागू करते हैं । वे लोग पकड़े गए हैं और पता लगा है । अगर ऐसे हालात बने हुए होंगे तो देश में ऐसी कितनी बहालियां हो गई होंगे जिसका आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला होगा । आखिर इस कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कई बार हम लोगों को दिखता है । हम राजनेताओं की भूमिका बहुत अजीब है।

अब मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं तब विधायक भी नहीं बना था । मैं वर्ष 1987 में बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में गया । मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे थे । मैं इकोनॉमिक्स में पास भी कर गया । उस समय की राज्य सरकार जो 1990 में आते-आते, बाद में माननीय मुख्यमंत्री जेल भी चले गए, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री का यूनिवर्सिटी पर कब्जा था । उनका यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पर कब्जा था । देखिए, शुरूआत कैसे होती है? हम नेताओं की भागीदारी से किस प्रकार से इन परंपराओं को तोड़ते हैं? मैं उसी विषय पर आ रहा हूं ।

महोदया, मैं मेरिट में सबसे आगे था । उस समय के राजनेताओं के सामने जब लिस्ट रखी गई कि राजीव प्रताप रूडी, जो अभी एमएलए हैं, उनकी बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में लैक्चरर की एपाइंटमेंट हो गई तो इसे पूरा फाड़कर नीचे फेंक दिया गया । आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सच्चाई है । जब मुझे पता चला तो मैं पटना हाई कोर्ट में गया और मैंने इंटरव्यू के कागज निकाले । मैं बता रहा हूं कि करप्शन कहां से आता है । ? (व्यवधान) आपको क्यों परेशानी हो रही है? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की बहाली 100 परसेंट करैक्ट है और मैं बहाल हो गया । यह उसी व्यक्ति की बात है । मैं एक और चीज पूछता हूं । वैसे तो माननीय प्रधान मंत्री दूरगामी हैं, ये सब कानून थोड़ा पहले आने चाहिए थे । मेरी बात सुनिए, मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी से थोड़ी सी

एक बात की तकलीफ है, माननीय प्रधान मंत्री जी को थोड़ी पहले इस देश का प्रधान मंत्री बनना चाहिए था । अगर 20-25 साल पहले प्रधान मंत्री बने होते तो कम से कम गलत काम करने वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं होते । उनको भी समझ में आ गया होता कि इस देश का कानून ऐसा बना हुआ है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो जेल चले जाएंगे ।

माननीय सभापति जी, इसके बाद देखिए, हम रोज सुनते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री जेल चले गए । कुछ लोग जेल जाने से परहेज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नोटिस ही नहीं लेंगे । इसके बाद देखिए कि ये सब परिस्थितियां क्यों आती हैं? वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक देखिए कि देश में क्या होता था । आप भी उससे प्रभावित हैं । आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप भी प्रभावित हैं । वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक एक व्यक्ति भारत का रेलवे मिनिस्टर बन गया, जो उस राज्य के मुख्यमंत्री थे और मैं चुनाव हार गया । वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2009 तक पूरे भारत वर्ष में, महाराष्ट्र जोन, बंगाल के जोन, नॉर्दन रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वैस्टर्न रेलवे, साउथ-सैंट्रल रेलवे जोन में पूरे बिहार के लोगों के सभी जोनल मैनेजर्स, उस समय के भारतवर्ष के रेलवे के जोनल मैनेजर्स ने पूरे भारत में एक आदमी के दस्तखत पर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वह बीमार थे फिर जेल चले गए, मेरे उनसे संबंध अच्छे हैं, खराब नहीं हैं, पूरे भारत में ग्रुप-डी की कागज की लिस्ट बनाकर बहाली कर दी गई । ? (व्यवधान) अब आप मत पूछिए । ? (व्यवधान) आजकल सबको आप ही जेल भेजते हैं । ? (व्यवधान)

मैडम, आपको याद होगा । आज स्थिति क्या है? जितने लोगों की बहाली हुई, किसी से जमीन ली गई, किसी से मकान लिया गया, किसी से घर बनवाया गया । पिछले दस साल से वह जेल में थे, छूट कर आए हैं, उनका पूरा खानदान डिस्टर्ब हो गया क्योंकि आज भी उसी बहाली को लेकर पेशी होती है ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात थोडी शॉर्ट कर लीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** आप ही के राज्य की बात बता रहे हैं ।

माननीय सभापति **:** मालूम है ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** आप भी प्रताड़ित रही हैं । आपके भी बच्चे हैं ।

माननीय सभापति **:** समय के अनुसार बिल पास करना है ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** इससे बुरा पोलिटिकल लोगों के लिए क्या होता है? जब इस प्रकार की बहालियां होती हैं तो लोग हमारे पास आते हैं । ऐसा होता है कि लोग परीक्षा की एप्लीकेशन डालते हैं और परीक्षा की एप्लीकेशन लाकर एमपी साहब को देते हैं कि बहाली करा दो । यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हम लोगों ने ऐसी परंपरा बनाकर दिखाई है कि परीक्षा होने से पहले ऑनलाइन के आधार पर बनी एप्लीकेशन एमपी को देते हैं कि बहाली करा दो ।

माननीय सभापति**:** आप जो बोल रहे हैं, सत्य है, लेकिन दो बिल और पास करने हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** अभी तो पांच ही मिनट हुए हैं । अब तो हम सब साथ ही चुनाव में जा रहे हैं । क्या आप इतनी जल्दी करेंगी?

माननीय सभापति **:** दो बिल और आने वाले हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** क्या हमने आपकी बात कभी टाली है? बिहार के हित में क्या हमने कभी आपकी बात टाली है? मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं ।

माननीय सभापति**:** अच्छा लग रहा है । आप जो बोल रहे हैं, सब सच्चाई है । लेकिन समय का प्रतिबंध है ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** मैडम, मेरी घड़ी तो ठीक काम कर रही है । पांच मिनट ही हुए हैं ।

माननीय सभापति**:** 15 मिनट हो गए हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** यहां जो प्रस्ताव आया है, जो बिल आया है, हम इसका समर्थन करते हैं और मैं इसके लिए सदन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

मैडम, आज विपक्ष के लोगों ने कितनी अच्छी बातें कही हैं, अगर कल कहते तो कितना अच्छा लगता । देश की सरकार हर काम अच्छा ही कर रही है । इस कानून के द्वारा इस बड़े परिवर्तन के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और इस सदन को धन्यवाद देता हूं कि इससे आने वाले दिनों में ईमानदार परीक्षार्थी, अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा और उसकी मेरिट को रिकोग्नाइज किया जाएगा । देश के माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारा यही लक्ष्य है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Madam Chairperson. Thank you for giving me the opportunity.

Madam Chairperson, Tamil Nadu has one of the great indices in education. It has been brought out by the Education Policy that the State should have a primary school for every one kilometre, a middle school for every three kilometres, a high school for every five kilometres, and a higher secondary school for every seven kilometres. Due to this, Tamil Nadu has attained the Gross Enrollment Ratio of 52 per cent. That is the target of India to reach this Gross Enrollment Ratio by 2030. Tamil Nadu has reached that now itself. It is because of all the policies that had been brought out by the Dravadian principles and ideologies. The said principles

and ideologies opened education to the underprivileged. It was during the time of Justice Party in the year 1920 under the regime of the then Government that the noon- meal scheme for Chennai Corporation Schools was started but after that it was stopped due to no funding. Later on, it was done by the great leader, Perunthalaivar Shri Kamaraj. We have many other schemes which have brought students to schools for education, which include giving free cycles and bus passes to students and so on.

The flagship programme under the able leadership of Shri M.K. Stalin which we would like to mention here is the breakfast scheme which is the first of its kind in India. There is another scheme for giving Rs. 1000 to girl students who study in Government schools from classes 6 to 12. They are given Rs. 1000 during their entire college education, whether they study in a Government or a private college, irrespective of the courses that they pursue. This is going to bring the Gross Enrollment Ratio of Tamil Nadu to 75 per cent.

Madam Chairperson, through you, we request the hon. Minister to bring back the subject of Education to the State List instead of the Concurrent List because people sitting in Delhi cannot decide the language that the people want in Tamil Nadu or in the North East. Madam, in developed countries, even though they have one largest spoken language, still the education policy is decisively taken up by the province or the state and it is not done by the Centre. So, it is high time that each language is given importance and cultural diversity is protected.

Madam Chairperson, it was our great visionary leader, former Chief Minister, the Late Dr. Karunanidhi who had abolished the entrance exams in the State. Due to the abolition of entrance exams, students from rural areas were able to get into medical and engineering colleges. But with the advent of NEET exam, what has happened is that only the affluent are able to get into such colleges. Even if you get a single percentile in your 12th examination, you still get passed.

माननीय सभापति **:** कृपया अब कनक्लूड कीजिए ।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. : Madam, I am just concluding in one minute. If you are rich enough, by spending Rs. 20 lakh you can go to a private medical college. So, this is what we are against.

Madam Chairperson, with regard to entrance examinations, I would like to say that the students who go for the exams are thoroughly searched and are physically frisked. Their *dupattas* are removed. Their hair clips and earrings are removed.

Even their ornaments are removed. They should not be treated as terrorists. They should be treated as students who are just going to colleges and they should be treated with dignity and humanity.

With these words, I thank you for giving me this opportunity.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. I request that this Bill titled Public Examinations for employment and getting admission in higher educational institutions (Prohibition of Unfair means) should be, in the first instance, referred to the Parliamentary Standing Committee for its review. On behalf of Viduthalai Chiruthaigal Party I want you to ponder over and review whether these public examinations are necessary? Students, after completing a degree course and when they engage themselves in search of jobs or when they try to get admission in higher educational institutions, appearing for these competitive examinations create a lot of tension and pressure in their minds. I want to say about the first-generation students, particularly of the rural areas, whose parents do not have any educational background and these students who step into schools and colleges for the first time consider their passing out and getting a degree as an achievement. Such persons are forced to appear in these competitive examinations for getting employment in government and public sector time and again and I think their opportunities are snatched away in a planned manner. This filtering process, I think, is considered as a new strategy to stop them in getting into higher posts or employment. They have to witness various examinations like entrance exams, eligibility tests and recruitment examinations one after the other. I think that there is a big gap between getting educational qualification and getting employment. Therefore, it should be made easy. I request you that all the Degree holders should be given extensive training in their respective Universities making them eligible for getting employment in respective sectors. There is a need to approach private coaching centres for exams like IAS, IPS or competitive exams, RRB exams, Banking Services recruitment exams and these private coaching centres work on commercial terms. These candidates, after getting training in these private coaching centres by paying several lakhs of rupees, become successful in these competitive examinations. Therefore, in general, these competitive examinations should be completely given up. This is the request of Viduthalai Chiruthaikal Party. During corona pandemic, those candidates who appeared for IAS examinations remained affected because they could not make due preparation for the exams. Therefore, they want one more opportunity to be extended to them as they have been approaching the authorities with this demand.

I request that the Government should consider giving one more opportunity for such IAS aspirants. I once again request that this Bill should be referred to a Standing Committee of Parliament for its review. Thank you.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदया, आपने मुझे लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं ।

मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और रद्द की गई परीक्षाओं से पीड़ित प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रति सहानुभूति रखती हूं । लेकिन, आज मैं इस विधेयक के कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए खड़ी हूं । आज इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक के बाद भर्ती परीक्षाओं, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी, गुजरात और बिहार में सिपाहियों की भर्ती और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ है, जिसके चलते जूनियर क्लर्कों के लिए परीक्षा भर्ती सहित कई प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाओं को रद्द करने की पृष्ठभूमि पैदा हुई है । कई समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक पेपर लीक से 1.4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं । पेपर लीक से 70 से अधिक मामलों ने हजारों इच्छुक उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद किया है । साथ में उनका आर्थिक शोषण भी किया है, क्योंकि बार-बार परीक्षा लीक होने के कारण बार-बार परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए जो गरीब अभ्यार्थी होते हैं, उनके पास उतना धन नहीं होता है । वे लोन लेकर या किसी से उधार लेकर परीक्षा का फॉर्म भरते हैं । मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि जब परीक्षा इस तरह से लीक हो जाए, पेपर आउट हो जाये या किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो जाए तो उन अभ्यर्थियों का पैसा भी वापस किया किया जाए । यदि बिल पर गौर करें तो धारा-3, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन समझे जाने वाले कार्यों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रश्न पत्रों के लीक होने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ तक शामिल है । हालांकि, मैं इस तरह की कार्रवाइयों की निंदा करती हूं, लेकिन यह पहचानना भी आवश्यक है कि इन कदाचारियों का मूल कारण बहुत बड़ी प्रणालीगत विफलता है । हाल के वर्षों में पेपर लीक, सामूहिक नकल या प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़, किसी भी रिपोर्ट के बिना सार्वजनिक परीक्षा का सफल संचालन आज दुर्लभ हो गया है ।

इसके अतिरिक्त हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, जहां परिक्षाओं में सफल होने का दबाव बहुत अधिक है, जो अक्सर देश में प्रचलित निजी क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार के गंभीर परिणामों से प्रेरित होता है । यह चिंताजनक प्रवृत्ति हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत विफलताओं के बारे में बहुत कुछ बताती है, जिसका विधेयक पर्याप्त रूप से संबोधन करने में विफल है। इसके अलावा सार्वजनिक परिक्षाओं में कदाचार की घटनाओं पर बिना सोचे-समझे की गई प्रतिक्रियाओं के हानिकारक प्रभावों को उजागर करती है । वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तर्क को खारिज करने के बावजूद कि कदाचार के अलग-अलग मामलों के कारण पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाए, कई राज्य ऐसे कठोर उपायों का सहारा ले रहे हैं । परीक्षाओं को अंधाधुंध रद्द करने से न केवल निर्दोष उम्मीदवारों को गलत तरीके से दंडित किया जाता है, बल्कि इच्छुक उम्मीदवारों की पहले से ही अनिश्चित स्थिति भी बढ़ जाती है ।

एक उम्मीदवार की दुर्दशा पर विचार करें, तो किसी परीक्षा को मनमाने ढंग से रद्द करने या देरी के कारण पात्रता?(व्यवधान) वह निर्धारित पात्रता या आयु सीमा को पार कर जाता है । कई उम्मीदवारों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होकर उनका बेहतर भविष्य हासिल करने का आखिरी मौका होता है । नकल और कदाचार के कारण आजकल बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है ।

बेरोजगारी का आलम ये है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि नौकरियां मिशन मोड में दी जा रही हैं । मैं इसका समर्थन करती हूं, लेकिन जो नौकरियां मिली हैं, वे सीमित समय के लिए मिली हैं या तो आउटसोर्सिंग से मिली हैं । जबकि केन्द्र और राज्यों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं । मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि एक स्पेशल अभियान चलाकर इन खाली पड़े हुए पदों को भरने की कोशिश की जाए, ताकि जो बेरोजगारी है, उसे कम किया जा सके । इन परीक्षाओं में जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं, उस पर दंड प्रणाली और सख्त की जाए ।

महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभारी हूं ।

श्री संजय सेठ **(**राँची**) :** सभापति महोदया, आपका जोहार ।

मैं प्रतियोगी परिक्षाओं की निष्पक्ष और सदाचार मुक्त संचालन के लिए पेश किए इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । प्रतियोगी परिक्षाओं में पेपर लीक और धांधलियों को रोकने के लिए, हम कह सकते हैं कि यह विधेयक देश के युवा और मेहनतकश छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए है । ऐसी पारदर्शी व्यवस्था हो, जहां छात्रों का मनोबल न टूटे, युवाओं का मनोबल न टूटे, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंग्रेजों के जमाने के 1,500 कानूनों को ध्वस्त कर दिया । कई ऐसे कानून जो अनुपयोगी थे, उनको ध्वस्त कर दिया । ऐसे-ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनकी देशहित में आवश्यकता है ।

मैं तो कह सकता हूं कि झारखंड के विद्यार्थियों का सौभाग्य है, अभी दो दिन पहले मैंने इस सदन में जेएसएससी पेपर लीक का मामला रखा था कि कैसे झारखंड के अंदर पेपर लीक हुआ और सचिवालय सहायक परीक्षा में 750 केन्द्र बनाए गए थे । ठंड के मौसम में छात्र बसों और ट्रेनों में बैठकर परीक्षा देने के लिए गए थे । जब वे परीक्षा दे रहे थे, तब उनको पता चला कि पेपर लीक हो गया है । दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब वे न्याय मांगने के लिए गए, तो उन पर लाठीचार्ज हुआ । दोषियों को नहीं पकड़ा गया, बल्कि छात्रों पर गंभीर धाराएं लगाई गईं । छात्रों पर गंभीर धाराएं लगाकर, एसआईटी का गठन किया गया और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है । ये कहां का न्याय है?

इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने छात्रों के हितों के लिए इतना बड़ा सुधार का कदम उठाया है । ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने झारखंड सरकार की परीक्षा में बैठने के लिए इस उम्मीद के साथ आवेदन किया था कि परीक्षा होगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनके परिवार का भविष्य सुधरेगा, लेकिन उनको पता चला कि पेपर लीक हो गया है । अब उनके दिलों पर क्या बीतती होगी, उनके परिवार वालों पर क्या बात रही होगी । मैं कह सकता हूं कि झारखंड राज्य ने यह दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया है ।

मैं बताना चाहता हूं कि कल कांग्रेस पार्टी के एक नेता झारखंड गए थे । उन्होंने फोटो सेशन भी किया, फोटो भी खिंचवाई, लेकिन छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर जो केस हुआ, उन्होंने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला । उन्होंने फोटो सेशन तो कराया, कराओ, लेकिन छात्रों के हितों की तो बात उठाते या बात करते । मेरा आग्रह है कि सीबीआई द्वारा अविलंब जांच होनी चाहिए । जो दोषी हैं, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी ही क्यों न हो, उनको जेल में डालना चाहिए ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं और छात्रों को इतना बड़ा उपहार देने का काम किया है । पुनः मैं आपका इस आशा के साथ अभिनंदन करते हुए कि झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय होगा और सीबीआई जांच कराकर ऐसे दोषियों को जेल भेजा जाएगा ।

17.00 hrs

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** मैडम, मुझे बोलना है ।

माननीय सभापति **:** अधीर जी, क्या आपने समय मांगा है?

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** मैडम, हां ।

माननीय सभापति **:** आपने समय कहां मांगा है?

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** मैडम, मैं पहले ही कह चुका हूं ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात दो मिनट में कह दीजिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** मैडम, मैं दो मिनट ही लूंगा ।

माननीय सभापति **:** ठीक है, आप बोलिए ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I rise to dwell on the legislative document under the nomenclature, the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024. It may be called as Anti-Cheating Bill.

I would like to draw the attention of hon. Minister towards an important thing. According to a news item published in *The Indian Express*, it has been stated that there have been very large number of cases of question paper leaks in recruitment exam across the country in recent years. An investigation by *The Indian Express* found at least 48 instances of paper leaks in 16 states over the last five years, in which the process of hiring for Government jobs was disrupted. The leaks touched the lives of at least 1.4 crore applicants for about 1.04 lakh posts. What shall be the fate of those aspirants who have been caught in this kind of nefarious activities for which they have not committed any fault?

The second thing is that through this legislative document, you are talking about bringing transparency. Just yesterday, I have mentioned that according to the Transparency International Report, India?s ranking on the Corruption Perception Index dropped from 85th in 2022 to 93rd in 2023. That means, the Corruption Perception Index has been alarming by increasing. Here, in this Bill, certainly, lofty ideals have been enshrined but the issue is that you are putting your entire emphasis on punishment. Why are preventive measures not being conceived? The

Bill has penal provisions for committed offences but lacks preventive measures to reduce such acts. ? (*Interruptions*)

The second thing is that the transparency regime in the country is currently facing significant challenges. Three State Information Commissions are inactive and six including the Central Information Commission have pending vacancies at the leadership level. Additionally, there is a backlog of 3.21 lakh complaints and appeals. How would you be able to deal with this kind of a situation?

In October 2023, a cyber-security firm based in the United States disclosed that the personal data of 815 million Indian citizens such as Aadhaar numbers and passport details were being sold on the dark web. In the past five years leading upto March 2023, there have been a total of 47 incidents of data leaks and 142 data breaches reported as per the Union Government.

When there is a plethora of such kind of leaks, how will you be able to plug these kinds of serious loopholes?

Not only that, only 38 per cent of households in our country are digitally literate. Around 70 per cent of India?s population struggles with limited access to digital services. Among the poorest 20 per cent of households, only 2.7 per cent own a computer and 8.9 per cent have internet access.

Again, I am also trying to highlight the issue that the entire emphasis of this legislative document is to centralise the entire authority at your disposal. That is why, the Bill grants significant authority, including the power to the Union Government to formulate rules and regulations. Additionally, it confers the ability to transfer investigations to Central agencies, thus consolidating considerable control of investigation in the hands of the Union Government.

माननीय सभापति **:** कृपया आप कनक्लूड कीजिए ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: If the centralisation of authority is in the hands of a Government like yours, it is easily assumed that all the opposition voices will further be throttled by this kind of a legislation. Thank you.

डॉ**.** जितेन्द्र सिंह **:** सभापति महोदया, सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है, क्योंकि ऐसी अपेक्षा न थी कि इस विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा होगी और हमारे इतने सारे माननीय सदस्य इसमें बोलने की इच्छा प्रकट करेंगे । इससे यह सिद्ध होता है कि यह विषय सब के हृदय के नजदीक है । कुल-मिलाकर के सैद्धांतिक तौर पर किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया ।

I would like to officially acknowledge Shri Kodikunnil Suresh from Congress; Dr. Satya Pal Singh from BJP; Shri D.M. Kathir Anand from DMK; Shrimati Chinta Anuradha from YSRCP; Shri Rahul Ramesh Shewale from Shiv Sena; Prof. Achyutananda Samanta from BJD; Shri Malook Nagar from BSP; Shri Sumedhanand Saraswati from Bharatiya Janata Party; Shri Imtiaz; Dr. DNV Senthilkumar; Dr. Thol Thirumaavalavan; Shrimati Sangeeta Azad; Shri Sanjay Seth; and Shri Adhir Ranjan Chowdhury. ? (*Interruptions*)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** आपने मेरा नाम नहीं बोला । ? (व्यवधान)

डॉ**.** जितेन्द्र सिंह **:** रुडी जी हमारे गुरू भी हैं और सदा हमें गाइड भी करते रहे, इसलिए इनका नाम मेरी जुबान से लेना छोटे मुंह बड़ी बात हो जानी थी । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** दादा का नाम ले लीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): There are so many other speakers, including me, who have spoken. ? (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Yes, I know, Shri N.K. Premachandran has spoken. ? (*Interruptions*)

श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन **:** उसमें नहीं है ।

डॉ**.** जितेन्द्र सिंह **:** उसमें है और फिर से आ रहा है ।? (व्यवधान) *Dada,* this is also a healthy sign that everybody wants his name to be included and associated with this legislation. So, this gives me tremendous amount of encouragement.

Now, the point is this. As I said in the morning, I hope, we will carry forward this legislation in the same spirit. This is above politics, and I think, this is a concern which deals with the daughters and sons of this country, and which all of us share. कुछेक शंकाएं हैं, क्योंकि अभी हमें इस बिल को शायद उतना विस्तृत तौर पर पढ़ने का अवसर भी नहीं रहा और चर्चा भी नहीं रही । सबसे पहले तो जो बात माननीय सुरेश जी ने उठायी थी, उसके बाद फिर कुछेक हमारे मित्रों ने उठायी । सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि the student or the candidate does not fall under the purview of this legislation. कहीं ऐसा संदेश न जाए कि किसी उम्मीदवार को, चाहे वह जॉब एस्पिरेंट है, चाहे वह किसी उच्च संस्थान में दाखिला लेने के लिए कैंडिडेट है या उम्मीदवार है, उसको किसी तरह से हेरासमेंट में डाला जाएगा, तंग किया जाएगा । ये लेजिस्लेशन या कानून उन लोगों के विरुद्ध लाने का प्रयास हो रहा है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं या इसमें किसी तरह का अपराध करते हैं ।

I think under Prime Minister Modi ji we have always tried to follow the spirit of cooperative federalism. We have gone one step beyond. It will not be right to say

that there is any attempt to centralize this entire system. जब हम सबका एक ही कन्सर्न है तो सेंट्रलाइज्ड की क्या बात है? मैंने सुबह भी कहा था कि क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे या आपके बच्चे उस स्थिति से न गुजरें जैसे वह बिटिया गुजरी है, जो लिखकर छोड़ गई कि ?मम्मी-पापा, I am the worst daughter in this world.? तो फिर सेंट्रलाइज्ड कहां पर आया? वे कहते हैं कि ?खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या ।? जहां हम दर्द से जुड़ रहे हैं, वहां जुदाई की कोई गुंजाइश नहीं होती है, राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होती है । एक बात बार-बार कही गई है और वह एक सकारात्मक सुझाव है कि अगर कोई परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो फिर उसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास किया जाए । I think this is a suggestion which is well-taken. इनका कहना है कि इससे बच्चों का साल खराब हो जाता है । जब अलग-अलग परीक्षाएं रद्द होती हैं तो वे अलग-अलग कारणों से होती हैं । कहीं पर सीबीआई की इंक्वायरी रहती है, कहीं पर किसी और तरह की एजेंसी या संस्था जांच कर रही होती है । इसलिए प्रत्येक परीक्षा के लिए चाहते हुए भी कोई समयबद्ध सीमा रेखा बनाना संभव नहीं होता है । लेकिन हाँ, हमारा और सबका यही प्रयास रहेगा और जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनका भी यही प्रयास रहता है । चाहे संस्थाएं हों या कोचिंग सेन्टर्स हों, उसके दायरे में वे सारे दायरे आ जाएंगे, जो डायरेक्टिली या इनडायरेक्टिली जुड़े हैं ।

सत्यपाल जी ने ठीक कहा है कि परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार अपीयर होते हैं । स्टाफ सलेक्शन कमीशन में 60 से 70 लाख तक उम्मीदवार अपीयर होते हैं । इसलिए यह भी एक कारण हो सकता है कि शायद अभी व्यवस्थाएं धीरे-धीरे उस तरह से विकसित हो रही हैं । एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है । I will seek the permission of the hon. Chairperson to clarify it. श्री डी. एम. कथीर आनन्द साहब ने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि भाषा के कारण भेदभाव हो रहा है । I said in the beginning that I do not want to give even the slightest political tinge to this debate. But on the basis of facts, may I make a small submission that this is for the first time that this Government, the NDA Government under Prime Minister Modi has started conducting Staff Selection Commission?s examinations in 13 regional languages, including Tamil. This did not happen during the UPA rule of which DMK was a partner. So, may I humbly remind him, what they have left undone has been accomplished by this Government. If they could not do it at that time due to whatever may be the reasons, we have done it.

Similarly, as far as the UPSC is concerned, we have again 13 Scheduled Languages in which these exams are conducted. We hope to gradually include all the 22 languages. The Staff Selection Commission Examination is being conducted in all the regional languages including Tamil and also the other south Indian languages. मैंने सुबह कहा था कि यह मेरा सौभाग्य है कि तमिल संस्कृति के प्रतीक ?सेंगोल? की उपस्थिति में, इनको साक्षी मानकर के हम युवा शक्ति को समर्पित यह विधेयक ला रहे हैं ।

So, with all the due respect to all cultures, all regions of this country, this Government has introduced 13 regional languages in all the different kinds of exams, including MTS non-technical, Constable in Paramilitary Forces and Combined Higher Secondary Level exams. हायर सेकेंडरी के बाद जिन-जिन पदों के लिए

उम्मीदवार क्वालीफाइड होता है, उस तक भी हमने रीजनल लैंग्वेज में काम करना शुरू कर दिया है । उसके उपरात उन्होंने यह कहा कि तमिलनाडु में वहां की सरकार टीचिंग मटेरियल और प्रिपरेटरी मटेरियल उपलब्ध करवा रही है ।

ऐसा नहीं है, ये व्यवस्थाएं केन्द्र सरकार में भी है । हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि राज्य सरकारें भी उसका लाभ लें । उदाहरण के तौर पर, Indian Institute of Public Administration is one of the oldest government institutions set up in early 1950s. प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने उसका शिलान्यास किया था । उसका यही दायित्व है, यही मैनडेट है । समय-समय पर प्रदेशों के अधिकारियों और वहां के दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं । अब इसके अतिरिक्त मलूक नागर साहब ने एक बात कही है कि बॉर्डर विलेजेज की विशेष चिंता की जानी चाहिए । शायद उनके ध्यान में होगा कि मोदी जी ने ही इन सीमावर्ती गांव के नाम को आखिरी गांव से बदल कर पहला गांव किया है । यानी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान जितनी भी योजनाएं मोदी जी की हैं, चाहे वह उज्ज्वला योजना है, चाहे वह शौचालय से संबंधित योजना है, वह सुविधा के साथ-साथ सम्मान देती है । It raises the esteem of the common Indian. उन्होंने कहा है कि जो वर्किंग इम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी समय-समय किस प्रकार से जायजा लिया जाता है । हमारे पास पहले ही उसके लिए व्यवस्था मौजूद है । अब उसको भी तरह-तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सुदृढ़ करने का काम किया गया है । इसी प्रकार षडङ्गी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ideally, this situation should not have arisen. हमारे संस्कार इतने मजबूत हों, हमारी विरासत से लिए गए हमारे मूल्य इतने मजबूत हों, हमारी इंटैग्रिटी इतनी मजबूत हो, तो शायद इस तरह की विधेयक की आवश्यकता नहीं होती । शायद, फिर इस तरह के कानून की जरूरत भी न होती । साथ ही साथ उन्होंने यह भी ठीक कहा कि जब तक वह स्थिति नहीं आती, if we actually rise to that level, that is an ideal level. Mahatma Gandhi once said : ?What is the meaning of non-violence? Non-violence is not the virtue of the meek or the weak. मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है । मैं दुर्बल हूं, मुकाबला करने से डरता हूं और कहता हूं कि साहब, मैं हिंसा का पुजारी हूं, मेरे ऊपर हमला न करिए, तो वह मेरी कायरता है । वह अहिंसा नहीं है ।? यह गांधी जी ने भी कहा है । यह गौतम बुद्ध ने भी कहा है । But till we rise to that level, जिस दिन हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, फिर न हमें एंटीकरप्शन की आवश्यकता होगी और न विजिलेंस एजेंसी की बात होगी, लेकिन तब तक क्योंकि यह संसार है, इसे कुरीतियों से बचाना भी हमारा दायित्व है । जैसे इकबाल का शेर है कि

?अच्छा है दिल के पास रहे, पासबान-ए-अक्ल,

लेकिन कभी-कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें ।?

Ideally, the heart should always be guided by the brain, but it does not happen always. इसलिए इन कुरीतियों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए । इसी प्रकार कल्याण बनर्जी की यह चिंता थी कि implementation of law कैसे हो? *Dada*, I agree with you, all of us agree, that implementation is equally important. If we have not been able to accomplish it to the expected levels, the desired levels, all of us, the entire society is responsible for it. यह यही सरकार थी, यही डीओपीटी का विभाग था, सन् 2018 में मेरे ही माध्यम से यहां एक विधेयक लाया गया था । हमने वर्ष 1988 का एंटी करप्शन कानून संशोधित किया और हम रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ रिश्वत देने वाले को भी उसके दायरे में लाये । So, the bribe-taker alone was not made the culprit; the

bribe-giver was also included. कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जितनी भी रचनाएं हो रही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में इन सारे नियमों, विधायकों की रचना हो रही है, ये निहायत ही संवेदनशिलता के साथ हो रही हैं । इसी तरह से जस्टिस मसूदी साहब का कहना ठीक है कि level-playing field is what is required. Actually, in the beginning of my opening remarks, I mentioned that we brought in the rule to abolish interview.

Interview abolish करना इतना आसान नहीं रहता । सबसे ज्यादा दिक्कत राजनीतिज्ञों को आती है । अगर यह नहीं आती होती तो 65 साल पहले ही खत्म कर दिया जाता । क्योंकि फिर आप किसी की मदद नहीं कर सकते । चाहे वह आपका कार्यकर्ता या आपका प्रिय हो, लेकिन यह घोर पाप न हो । मोदी जी ने यह कहा है, यह सिखाया है कि जहां जिस चीज की कमी रह गई है, उसकी पूर्ति करनी है । फिर उसके बाद जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं । अब एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने यह कहा कि there is a misinterpretation in the proviso, which is not required. That those who are not found guilty among the officials would be spared. I agree with you. आपका कहना था कि वह तो स्वाभाविक है । If he is not guilty, why do you mention it in the Bill? I agree with you. Academically, you are right. लेकिन यह मेन्शन इसलिए किया गया कि कहीं दूर-दूर से, गलती से भी यह धारणा न जाए कि यह विधेयक किसी को अनावश्यक परेशान करने के लिए लाया गया है । विद्यार्थी, उम्मीदवार को तो कदापि नहीं, कतई नहीं, लेकिन किसी अधिकारी को भी नहीं, यदि वह गुड फेथ में काम कर रहा है । सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही कि पारदर्शिता भी होनी चाहिए । This is a continuous process. We have been striving for it right from the day the abolition of interview was done, the abolition of attestation was done. जमी जमाई व्यवस्था का, उन्होंने ?12 वीं फेल? उस सिनेमा का उदाहरण भी दिया । Incidentally, you will be amused to know that जब आप ?12 वीं फेल? पिक्चर के क्रिडेंशियल देखते हैं, तो उसमें एकनॉलिजमेंट में एक नाम डॉ. जितेन्द्र सिंह का है । क्योंकि विधु जी हमारे मित्र हैं तो मैंने भी थोड़ा सा उनके साथ सहयोग किया था । मैंने कहा कि उसमें ज्यादा तफसील न दीजिएगा । I do not know how it will be taken but nevertheless, it is an award-winning movie. वह जमी जमाई व्यवस्था है, जिसकी आप बात कर रही हैं । उसी के ऊपर प्रहार करने के लिए इस तरह का विधेयक लाया गया है । It is a collective responsibility of all of us. शास्त्रों में जैसे कहते हैं कि संस्कार बदलने में दो पीढ़ियां लगती हैं, तीन पीढ़ियां लगती हैं तो तीन पीढ़ियों के बाद उसके परिणाम मिलते हैं । But we have, at least, made a beginning. There is a rationale behind this legislation, as you rightly said. I think that gives me an opportunity to clarify before all the other friends कि जब इस तरह का हमारे पास क्रिमिनल लॉ भी है तो क्या जरूरत थी? उसका कारण यह है कि this is a specific legislation because in the existing Bhartiya Nyaya Sanhita, offences like these are not specifically mentioned, and therefore, we have identified and tried to define ?unfair means? in the conduct of examinations to the best of our ability. So, we have tried to target that particular part. Of course, as you rightly hinted, if the magnitude of the crime goes beyond an extent, obviously it will fall in the domain of the Bhartiya Nyaya Sanhita or the erstwhile IPC.

17.23 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

ईमत्याज़ साहब बड़े गुस्से में बोल रहे थे । वह सूबे गिनवा रहे थे, जहां-जहां के नाम नहीं लिए गए । वह कहने लगे कि वहां भी इस तरह का होता है । ऐसा नहीं होता है, महाराष्ट्र में भी होता है । मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया कि उनको गुस्सा क्यों आया? फिल्म आनंद में आनंद डॉक्टर भास्कर को कहता है कि बाबू मोशाय, मैं समझ गया कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया । तुम्हें मुझ पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आया । मैंने तो शुरू में ही कहा कि सभी प्रदेशों में हो रहा है । अधीर रंजन जी ने पढ़ा और सुबह डॉ. सत्यपाल जी ने भी समाचार पत्र पढ़ा कि 15 सूबों में इस तरह की घटनाएं हुईं । अगर आपको याद होगा तो शुरू में, आरंभ में in my introductory remarks, जिन प्रदेशों के मैंने नाम गिनवाएं, आखिर में एक नाम जम्मू-कश्मीर का भी था, just to make it evident that this is a menace. This is a problem being confronted by different States. हां, कहीं-कहीं जहां व्यवस्थाएं कम हैं, प्रशासनिक अभाव है, अब राजस्थान में एक के बाद एक घोटाले होते रहे । अब उसका जवाब तो राजनीतिक ही देना होगा और लोगों ने उसका जवाब दे भी दिया ।? (व्यवधान) सरकार बदलने के बाद वह बंद हो गए ।? (व्यवधान) राजस्थान में तो चुनाव का मुद्दा ही यह बना । अब उसमें क्या कहा जाए? जहां-जहां प्रशासनिक अभाव रहेगा, वहां इस तरह से रहेगा ।? (व्यवधान)

सुप्रिया जी ने एक और बात कही कि टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए और यह होना अनिवार्य भी है । बहुत-से ऐसे घोटाले हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हैं । आज कल एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है । This is not a part of the legislation and that is why I did not speak about it. लेकिन जब हमारे रूल्स बनते हैं, तो हमारे मन में यह भी कल्पना है कि हम विशेषज्ञों की एक ऐसी टोली, एक ऐसी कमेटी गठित करेंगे, जो समय-समय पर इसका सर्विलेंस भी करे, जो समय-समय पर इसको अपडेट भी करे और उसके बारे में हमें भी समझाए तथा जो समय-समय यूनिफॉर्मिटी भी लाए । जब उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती है और वेंडर्स की संख्या में कमी होती है, तो उसको भी आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा । जब वह सब्लेटिंग करते हैं, तो उससे भी कुछेक लूप-होल्स रह जाते हैं, उसके लिए हम इसमें विशेषज्ञों को भी इंवॉल्व करेंगे ।

जहाँ तक डायरेक्टर्स और ऑफिशियल फंक्शनरीज का प्रश्न है, उसके लिए भी यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ यह साबित होगा, अगर किसी अधिकारी ने मिलीभगत करके किसी माफिया की मदद की हो, तो आप मुझसे सहमत होंगे कि उसको तो बख्शा नहीं जा सकता है । अधीर रंजन जी ने कहा कि आपने सज़ा दे दी, लेकिन आपने समाधान नहीं दिया ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: What about the preventive thing?

DR. JITENDRA SINGH: Adhir ji, though I am not a law knowing person, to my limited knowledge punishment itself is a deterrent for prevention. This is a first step towards prevention. And then, as we move on from this experience, we will collectively apply our minds and go in for further steps also. But if we do not take even this first step, then we will not be preventing anything at all.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I have said that you are putting emphasis on punishment rather than prevention.

DR. JITENDRA SINGH: It is both.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Even my colleague, Shri Premachandran stated this.

DR. JITENDRA SINGH: No, that is what I am saying that punishment of a culprit is also a means of deterring the crime to happen again, which also is a preventive measure. Secondly, if you take prevention in the larger scale, preventing the technological lapses happening or prevention at the level of the means used, I said that we will, in the times to come, envisage including experts to offer their input for that. But at least, let us take this first step.

इसमें हमने जो लेजिस्लेशन प्रपोज की है, उसमें आपने तो पढ़ा ही होगा कि तीन साल से पाँच साल तक upto 10 lakhs है । लेकिन उसमें सर्विस प्रोवाइडर का अलग से जिक्र आया है । सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्टर, चूंकि बहुत-से सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की है कि इस तरह से बहुत-सी संस्थाएं खुल गई हैं । यह भी एक पेशा बन गया है । इम्तिहान करवाने की संस्था और इम्तिहान में पास करवाने की भी फीस पहले से ले लेते हैं । How do we handle that? So, we are trying to classify the institution which is found involved in conducting such exams, and in case of public servants, of course, if it is happening by default or in good faith, the person will not be culpable. But in case it is not, then, of course beyond that, we would also go into the domain of Bharatiya Nyaya Sanhita.

इससे अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ी संवेदनशील सरकार है । जो भी नियम बनाए गए हैं, वे बड़ी संवेदनशीलता के साथ बनाए गए हैं । एक ऐसे समय में, जब हम पूरी तरह से युवाओं को अपना सामर्थ्य, अपनी सेवाएं, पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता से समर्पित करने के लिए आग्रह कर रहे हैं ।

We have a huge stake in the youth of this country who comprise more than 70 per cent of population below the age of 40. Therefore, we cannot allow the meritorious to be sacrificed at the altar of such organised crimes or such self-centred elements in this society.

इस सरकार ने एक इको-सिस्टम बनाया है । उसका सदुपयोग भी तभी हो पाएगा, जब हम युवाओं के लिए इस प्रकार का संरक्षण देंगे । हम नैशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 लाये which gives you the liberty of entry/exit so that you do not become prisoner of your aspiration. आपने डॉक्टर बनने के लिए 12 वीं जमात में मेडिकल कर लिया, डॉक्टर नहीं बन पाए, फिर क्या करें । बीएससी करेंगे, वह भी उसी सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज, वह भी नहीं कर पाए, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप एमएससी करेंगे, फिर भी वही सब्जेक्ट है । फिर भी कुछ नहीं बने, कहीं अध्यापक, प्रोफेसर नहीं बने तो पीएचडी करेंगे । Here, you can change your subjects. You can juggle your subjects. You can combine economics with biology. जैसे-जैसे आपका एप्टिट्यूड ग्रो होता है, आपको अपने अंदर अहसास होता है कि नहीं, मैं इसके लिए बना हूँ । मुम्बई हर व्यक्ति एक्टर बनने जाता है, हीरो बनने जाता है, बाद में वहाँ पहुँचकर

उसे लगता है कि नहीं, हीरो बनना मेरे बस की बात नहीं है, मैं स्क्रिप्ट राइटर बनूँगा ।? (व्यवधान) इसलिए उस इको सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए भी इस तरह करते हैं ।? (व्यवधान) इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के उन वर्गों की चिंता की है, जिनकी अभी तक किसी सरकार ने चिंता नहीं की।? (व्यवधान) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कभी किसी ने रेहड़ी वाले की चिंता की, ? (व्यवधान) आते-जाते भी उसकी तरफ नहीं देखते थे ।? (व्यवधान) ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाला आकर ठोकर मारकर उसे आगे-पीछे कर देता था ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप बिल पर आइए ।

डॉ**.** जितेन्द्र सिंह **:** प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वे लोग जो अपनी जीविका भी कमाते हैं और भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी जिंदा रखे हुए हैं ।

माननीय अध्यक्ष **:** चलिए पास करें ।

? (व्यवधान)

डॉ**.** जितेन्द्र सिंह **:** नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ।? (व्यवधान) इसीलिए अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ ।? (व्यवधान) Adhir ji, you do not understand. ? (*Interruptions*) डाटा लीक होना भी तो इसी का कारण है ।? (व्यवधान) Data leak is a means of manipulation. ? (व्यवधान) इसका जवाब है ।? (व्यवधान) That is not in the purview of this Bill. बिल मालप्रैक्टिसेज इन एग्जामिनेशन का है ।? (व्यवधान) So, data leakage as a malpractice in examination is also under the purview of this Bill.

माननीय अध्यक्ष **:** यह डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है ।

? (व्यवधान)

डॉ**.** जितेन्द्र सिंह **:** आप विषय से भटक रहे हैं ।? (व्यवधान) अगर मालप्रैक्टिस में डाटा लीक होता है तो वह भी इसके दायरे में आता है ।? (व्यवधान) बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ से मैंने बात प्रारम्भ की थी, वहीं से, अपनी ओर से और मुझे विश्वास है कि इसमें दादा अधीर को भी कोई आपत्ति नहीं होगी । मैं सभी सदस्यों, सभी भारतवासियों से अपील करता हूँ कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य को किसी के हाथों में छेड़छाड़ न होने दें, उनको उस तनाव की परिस्थिति में न पड़ने दें, जो इन आत्महत्याओं में परिवर्तित होते हैं । मैं माता-पिता से भी अपील करता हूँ, बच्चों से भी अपील करता हूँ कि वे इस बदलते हुए नए युग में, मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका, अपना योगदान निभाने के लिए अपने आपको समर्थ बनाएं ।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

-

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

Clause 2 Definitions

माननीय अध्यक्ष **:** श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment nos. 1, 2 and 3 to clause 2 of the Bill.

I beg to move:

Page 2, line 18,-

after ?business entity,?

insert ?service provider,?. (1)

Page 2, line 20,-

omit ?and the service provider engaged by such authority?.

(2)

Page 2, line 30,-

after ?wrongful gain?

insert ?or nepotism or favouritism?. (3)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 Unfair means

माननीय अध्यक्ष **:** श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my amendment nos. 4 and 5 to clause 3 of the Bill.

I beg to move:

Page 3, line 15,-

after ?for?

insert ?nepotism or favouritism?. (4)

Page 3, lines 29 and 30,-

after ?Central Government?

insert ?or public examination authority?. (5) माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 3 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 Disruption to conduct public

examination

माननीय अध्यक्ष **:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 4, line 15,-

a*fter* ?for?

insert ?nepotism or favouritism?. (6)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 8 Offences in respect of service

providers and other persons

माननीय अध्यक्ष **:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the hon. Minister has already agreed also. Unnecessary proviso is being provided in the Bill. That may be looked into. With the assurance given by the hon. Minister, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 Punishment for offences

under this Act

माननीय अध्यक्ष **:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 5, line 13,-

a*fter* ?punished?

insert ?with imprisonment for a term not less than three

years but which may extend upto ten years and?. (8)

Page 5, *omit* lines 28 to 31. (9)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 और 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 11 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 18 Power to remove difficulties

माननीय अध्यक्ष **:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 6, line 43,-

for ?three years?

substitute ?two years?. (10)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

_____

17.38 hrs